कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

नियर रेलवे कासिंग,तुनवाला रोड, मियांवाला, देहरादून–248005 (उत्तराखण्ड)

दूरभाष न0–0135-2685634 ई–मेल -rcsuttarakhand@gmail.com वेबसाइट– www.cooperative.uk.gov.in

पत्रांक 870-73 /निबन्धन/स्वायत्त सह0/2024–25 दिनांक 27 अप्रैल, 2024

डा0 धनन्जय मोहन,
मुख्य प्रवर्तक,
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड
अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून
पता– 85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,
वन पंचायत उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून के निबन्धन हेतु प्रार्थना–पत्र के अभिदेश में आपको सूचित किया जाता है कि सहकारिता को निम्न विवरणानुसार उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 में निबद्ध किया गया है तथा निबन्धन के प्रमाण–पत्र तथा संज्ञम ज्ञापन और प्राधिकारी संगम अनुच्छेद संलग्न कर आपको प्रस्तुत हैं।

संलग्न–उक्तानुसार।

(एम0पी0त्रिपाठी) 26/4/24
संयुक्त निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड,

पत्रांकः 870-73 /उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, देहरादून के कार्यालय पत्रांक–221/निबन्धन/ 2024–25 दिनांक–23 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में उक्त सहकारिता की निबन्धित संगम अनुच्छेद की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्वायत्त सहकारिता को कार्यशील बनाना सुनिश्चित करें।
2. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, देहरदून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, शास्त्री नगर देहरादून।

(एम0पी0त्रिपाठी) 26/4/24
संयुक्त निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड,

:–प्रारूप–:

जनपद	नाम सहकारिता	निबन्धन संख्या	निबन्धन दिनांक	निबन्धन का वर्गीकरण	अभ्युक्ति
देहरादून	उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून	एस0आर0ए0यू0 के0–06	26.04.2024	–	स्वायत्त सहकारिता

नोट– उपरोक्त सहकारिता का निबन्धन प्रमाणपत्र जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, जनपद–देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार

पंजीकरण प्रमाण–पत्र

(उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 3 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र)

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** इसके संगम ज्ञापन और प्राधिकृत संगम अनुच्छेद सहित **जनपद–देहरादून** के अन्तर्गत **एस0आर0ए0यू0के0–06** संख्या के साथ पंजीकृत हैं। मेरे हस्ताक्षर एवं मेरी मुद्रा के अधीन **दिनांक 26.04.2024** को जारी।

मुहर

निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता,
उत्तराखण्ड सरकार।

IFMS
Uttarakhand

e-Challan

Bank Reff. No. - CPADSGHXQ8

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	ADYAKSH SACHIV
2	Address	uttarakhand Harbal aaroma Turijm Swayat Sahkarita Sangh Dehradun
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Registration Fees
5	Gross value of Challan	500
6	Net value of Challan	500
7	Deaprtment	Registrar Cooperative Societies
8	Related office for which challan is to be deposit	Asst Registrar Cooperative Societies Dehradun
9	Full details of Head of Account	0425 - Co-operation
10	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	Other miscellaneous receipts.	0425008000600	500
		Total Challan Amount-	500

Amount (in words) - Rs. Five Hundred only

Signature of departmental officer with seal

ADYAKSH SACHIV

Challan No- 04250424E0021073

Date - 12-APR-2024

Amount in Figure(Rs.) - 500

Amount in words - Rs. Five Hundred only

Received Through

Bank Reff. No. - CPADSGHXQ8

State Bank Of India (Payment Gateway)

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(i)

"संगम-अनुच्छेद"

[1] नाम सहकारिता	:	उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून।
[2] मुख्यालय	:	85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड
[3] कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य।
[4] प्रारम्भिक	:	अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 से होगा तथा इस अधिनियम में समय समय पर होने वाले संशोधन इन संगम अनुच्छेद पर अनिवार्यतः लागू होंगे ।

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त निबन्धन संख्या ...2-06 सहकारिता संघ देहरादून की संगम अनुच्छेद का निबन्धन दिनांक 21.05.2024 को किया गया।

संयुक्त निबन्धक
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड
देहरादून

[5] परिभाषाएं:-

उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क)'संघ' का तात्पर्य उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून से है।

(ख)"माध्यस्थ अधिकरण" (Arbitrator Tribunal) से अभिप्रेत है – उस सहकारिता के इस संगम अनुच्छेदों के अनुसार विवादों का निपटारा करने के लिए सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा गठित किसी व्यक्ति अथवा विषम संख्या में व्यक्तियों का एक समूह;

(ग)"निदेशक बोर्ड अथवा "बोर्ड" से अभिप्रेत है – सहकारिता का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे इस संगम अनुच्छेदों के अधीन सहकारिता के कार्य करने के निर्देश सौंपे गये हैं;

(घ)"मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्रेत है – प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड सहकारिता के पदेन अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे ओर जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सॅगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित की गई है;

(ड.)"सहकारी कारोबार" से अभिप्रेत है – कोई ऐसा कारोबार जो सहयोग के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करने का आशय रखता हो और इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी सहकारिताओं को सम्मिलित करता हो;

(च)"सहकारी पहचान "से अभिप्रेत है – इस अधिनियम की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट सहकारी पहचान का विवरण;

(छ)" स्वायत्त सहकारिताअधिनियम"से अभिप्रेत है – उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003;

(ज)"अभ्यंतर सेवा (कोर सर्विस)"से अभिप्रेत है – सदस्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सेवायें जिनके माध्यम से सहकारिता सभी सदस्यों की उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आशय रखती है जिनकी पूर्ति के लिए सहकारिता का गठन किया गया था, जिनसे सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की उम्मीद है;

(झ)"घाटा"से अभिप्रेत है – शेयर पूंजी पर लाभांश, यदि कोई हो की अदायगी के बाद वित्तीय वर्ष के अन्त में आय पर व्यय का शुद्ध आधिक्य;

(ञ)"घाटे का प्रभार"से अभिप्रेत है – घाटे की राशि यदि कोई हो, पूर्णतः या अंशतः पूर्ति करने के लिए संगम अनुच्छेद और साधारण निकाय के संकल्प के अनुसार सहकारिता की सेवाओं के उपयोग या अनुपयोग के अनुपात में सदस्यों से एकत्र की गई या उनके लेखे में विकलित की गई राशि;

(ट)"प्रतिनिधि"से अभिप्रेत है – वह सदस्य जो किसी सहकारिता की प्रोन्नति के समय तथा ऐसी सहकारिता के जिससे वह सहकारिता सम्बद्ध है, सभा के समय उसके हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है।

(ठ)"निदेशक"से अभिप्रेत है – वह सदस्य जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता के बोर्ड का निदेशक चुना गया है;

(ड)"वित्तीय वर्ष"से अभिप्रेत है – सहकारिता का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा;

(ढ)"साधारण निकाय"से अभिप्रेत है – सहकारिता के सम्बन्ध में अभिप्रेत उसके सभी सदस्य;

(ण)"साधारण सभा"से अभिप्रेत है – इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार बुलायी गयी तथा संचालित की गयी साधारण निकाय की कोई सभा;

(त)"सदस्य"से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की अभ्यन्तर सेवाओं की वांछा और जो इसका प्रयोग करने में सक्षम हैं तथा जो इस अधिनियम और इस संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार

सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
व हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है और सदस्य बना हुआ है, इसमें सदस्य सहकारिता शामिल है;

(थ)"**सदस्य सहकारिता**"से अभिप्रेत है – ऐसी कोई प्राथमिक या सहायक सहकारिता जिसे किसी सहायक सहकारिता की अभ्यतंर सेवाओं की वांछनीयता है और जो उसका प्रयोग करने में सक्षम है तथा जिसे इस अधिनियम तथा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार उस सहायक सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है;

(द)"**संगम ज्ञापन**"से अभिप्रेत है – वह दस्तोवज जो प्रवर्तकों के एक सहकारिता के रूप में गठन की इच्छा व्यक्त करता है;

(ध)"**पदाधिकारी**"से अभिप्रेत है – इस संगम अनुच्छेद के अनुसार किसी सहकारिता के बोर्ड द्वारा ऐसी सहकारिता के किसी पद हेतु चुना गया निदेशक;

(न)"**सहकारिता अधिकारी**"से अभिप्रेत है – किसी सहकारिता द्वारा उसका कारोबार सम्पन्न करने अथवा कार्यकलापों के पर्यवेक्षण हेतु पारिश्रमिक अथवा गैर पारश्रमिक आधार पर नियोजित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबन्धन समिति का सदस्य कोषाध्यक्ष, लिक्वीडेटर अथवा सहकारिता द्वारा विनियोजित कोई अन्य व्यक्ति;

(प)"**साधारण संकल्प**"से अभिप्रेत है – साधारण निकाय का ऐसा कोई संकल्प जिसे साधारण सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले, उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले बहुमत सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो;

(फ)"**व्यक्ति**"से अभिप्रेत है – ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो संविदा करने में सक्षम हों;

(ब)"**सम्भावित सदस्य**" से अभिप्रेत है– ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सहकारिता द्वारा प्रदत्त की जा रही अभ्यंतर सेवाओं की वांछा रखता हो और उस सहकारिता का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, परन्तु अभी तक उसका सदस्य न हो;

(भ)"**प्राथमिक सहकारिता**" से अभिप्रेत है – ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य व्यक्ति है;

(म) "**रजिस्ट्रार**" से अभिप्रेत है – वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सहकारिताओं के रजिस्ट्रार के रूप में तत्समय नियुक्त किया हो ;

(य)"**सहायक सहकारिता**" से अभिप्रेत – ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारिताऐं हो;

(र)"**विशेष संकल्प**" से अभिप्रेत – साधारण निकाय का ऐसा संकल्प जो कि कम से कम 15 दिन की सूचना पर बुलाई गई सभा में मत देने का अधिकार रखने वाले सहकारिता के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक अथवा साधारण सभा में उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोगकरने वाले दो तिहाई सदस्यों या जो भी कम हो द्वारा पारित किया गया हों;

(ल)"**अधिशेष**" से अभिप्रेत है – वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के ऊपर आय का आधिक्य जो अंशपूंजी पर लाभांश और बोनस यदि कोई हो, का भुगतान के बाद प्राप्त होता है;

(व)"**अधिशेष प्रतिदाय**" से अभिप्रेत है – संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार सहकारिता की सेवा के उपयोग के अनुपात में सदस्यों को दिये गये या उनके लेखा में जमा या विकलित किये गये अधिशेष का प्रतिदाय।

(श)"**सामान्य आवश्यकता**" से अभिप्रेत है– ऐसी आर्थिक आवश्यकता जो उन सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है, जो सहकारिता बनाने की इच्छा करते हैं या जिन्होंने किसी सहकारिता में सदस्यता ग्रहण की है तथा सहकारिता जिन्हें अपनी अभ्यन्तर सेवाओं के उपबन्धों के माध्यम से पूरा करने की प्रत्याशा करती है।

(ष)"**सहकारिता (कोऑपरेटिव)**" का जहां संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, वहां उससे अभिप्रेत है– अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत, आत्म निर्भर, स्वावलम्बी, परस्पर सहायता प्राप्त स्वायत्त, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, व्यवसायिक उद्यम जो सदस्यों द्वारा महसूस की गई सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अभ्यंतर सेवाओं के वित्तीय रूप से लाभकर उपबन्ध के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए इसके सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व प्रबन्धन ओर नियंत्रण में हो।

(स)"**सहकारी समिति**" से अभिप्रेत है– उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि से पूर्व अथवा पश्चात् उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अधीन पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
सहकारिता संघ देहरादून

(ह)"न्यायालय" से अभिप्रेत है– किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार वाला प्रधान सिविल न्यायालय और इसमें क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है।

(क्ष)"सरकार" से अभिप्रेत है"–उत्तराखण्ड सरकार व भारत सरकार।

(त्र)"संगम ज्ञापन" से अभिप्रेत है"– वह दस्तावेज जो प्रर्वतकों के एक सहकारिता के रूप में गठन की इच्छा व्यक्त करता है।

(ज्ञ) **सचिव/कोषाध्यक्ष–** मुख्य वन संरक्षक, आजीविका एवं एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड, देहरादून सहकारिता के पदेन अपर प्रबन्ध निदेशक/उपाध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष होंगे, जिस पर समिति के नाम से वाद चलाया जा सकेगा, तथा समिति की ओर से वाद चला सकेगा एवं ऐसे अन्य कार्यों का सम्पन्न करने, ऐसी अन्य शक्तियों एवं दायित्वों को धारण करने के लिए चुना गया हो, जैसा कि इस संगम अनुच्छेद में विर्निदिष्ट हो, तथा बोर्ड द्वारा समानुदेशित किया गया हो।

[6] उद्देश्य

(1) मुख्य उद्देश्य–

(क) राज्य में पाई जाने वाली जड़ी बूटी का पंचायती वनों तथा निजी भूमि में रोपण, संग्रहण/विपणन करना।

(ख) हर्बल एव सगन्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पार्क स्थापित करना।

(ग) हर्बल उत्पादों के प्रसंशकरण हेतु छोटे तथा बड़े प्रसंशकरण संयत्र स्थापित करना।

(घ) उपरोक्त की प्राप्ति हेतु क्षमता विकास तथा हर्बल मेलों के आयोजन से प्रचार–प्रसार करना।

(ड.) उपरोक्त के माध्यम से स्थानीय लोगों की आय सृजन करना व आजीविका बढ़ाना।

(2) गौण उद्देश्य–

(क) वन पंचायतों की संस्थागत क्षमता का विकास करना।

(ख) स्थानीय लोगों में स्वावलम्बन और पारस्परिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना।

(ग) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना।

(घ) सामान्य रुप से संघ के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कार्य करना।

[7] **सदस्यताः** जब तक अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन अन्यथा न हो तब तक स्वायत्त सहकारिता की सदस्यता ऐसी स्वायत्त सहकारिताओं अथवा स्वायत्त सहायक सहकारितओं को उपलब्ध रहेगी जो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों।

(क) उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र हो।

(ख) जो सदस्यता के दायित्वों को स्वीकार करने की स्वीकृति व्यक्त करता है ;

(ग) सदस्यता शुल्क 100/– रूपये जमा करके उचित प्रार्थना पत्र भरकर हस्ताक्षर करें ;

स्वायत्त सहकारिता की सदस्यता प्रदान करने में कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जायेगा;

(घ) जहां बोर्ड द्वारा किसी आवेदक का प्रवेश अस्वीकार किया गया है या आवेदक को बोर्ड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहां आवेदक माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष आवेदन को पुनर्विलोकित करने हेतु बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड आवेदन को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ;

परन्तुक यह कि आवदेक को माध्यस्तम् अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा;

(ड.) केवल बोर्ड द्वारा ही सदस्यता प्रदान की जायेगी ।

7(1) **सदस्यता का प्रवेशः–**

(क) प्रार्थना पत्र की प्राप्ति पर निदेशक बोर्ड द्वारा बैठक करके इच्छुक स्वायत्त सहकारिताओ एवं सहायक सहकारिताओ को अधिनियम व इस संगम अनुच्छेद के विनियमों के अर्न्तगत सदस्यता प्रदान की जायेगी।

(ख) जहां प्रवेश अस्वीकार किया जाये वहां ऐसे आवेदक को निर्णय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर जो भी पहले हो पंजीकृत डाक द्वारा संसूचित की जायेगी।

(ग) जहां बोर्ड द्वारा किसी आवेदक का प्रवेश अस्वीकार किया गया है या आवेदक को बोर्ड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहाँ आवेदक माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष आवेदन को पुर्नविलोकन करते हुए बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास

(घ) सदस्यता ग्रहण करने के लिये स्वायत्त सहकारिता एवं सहायक सहकारिता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संघ के सचिव को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा संघ के साम्य अंश जिसकी कीमत पूर्व से ही तय होगी, क्रय करेगा व प्रवेश शुल्क 100 रू0 होगा।

(ड.) इच्छुक स्वायत्त सहकारिता एवं सहायक सहकारिता द्वारा सदस्यता में प्रवेश के लिए संघ द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र व अन्य कोई अनुबन्ध यदि हों, पर हस्ताक्षर करने होंगें ।

(च) स्वायत्त सहकारिता द्वारा किसी सहकारिता एवं सहायक सहकारिता की सदस्यता समाप्त होने के और उसकी परिणामी स्थितियों की सूचना सम्बन्धित सदसरू सहकारिता अथवा सहायक सहकारिता को दी जायेगी।

7(2) (1) सदस्यता की समाप्ति :–

(क) सदस्य सहकारिता एवं सहायक सहकारिता के विघटन होने पर।

(ख) सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दे देने व ऐसे त्याग पत्र का निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।

(ग) कार्यकारिणी द्वारा संस्था के नियमों अथवा उपनियमों का पालन नहीं करने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(घ) सदस्य द्वारा यदि संस्था से ऋण प्राप्त किया गया है तो ऋण के सम्पूर्ण भुगतान पर ही सदस्यता से त्यागपत्र स्वीकार होगा।

(ड.) सदस्य सहकारिता की विघटन की दशा में इसकी सूचना सदस्य को देगी तथा प्रत्येक अन्य स्थिति में कर दी गई हो वहां वह सदस्य बोर्ड से उसके विनिश्चय को मध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखने का अनुरोध कर सकेगा।

(च) स्वायत्त सहकारिता का बोर्ड किसी भी ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता है जिसने सहकारिता के विरूद्ध कार्य किया हो।

परन्तु यह है कि सदस्य को बोर्ड के समक्ष सदस्यता समाप्त न किये जाने के लिये अध्यावेदन करने का समुचित अवसर दिया गया हो।

(2) सदस्यता वापस लेना :–

(क) स्वायत्त सहकारिता का कोई भी सदस्य किसी भी समय सहकारिता की सदस्यता वापस ले सकेगा।

(ख) सदस्यता वापस लेने हेतु कोई सदस्य संघ के बोर्ड को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्रार्थना पत्र पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक में विनिश्चय किया जायेगा ।

(ग) स्वायत्त सहकारिता का बोर्ड, सदस्यता वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर किसी सदस्य से उन बाध्यताओं की पूर्ति की अपेक्षा की जायेगी जिनका कि भार इस संगम अनुच्छेद या किसी करार के उपबन्धों के अधीन उसने सदस्य के रूप में अपने ऊपर लिया था अथवा ग्रहण किया था।

(घ) यदि संघ के बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि सदस्यता वापस लेने वाले सदस्य पर संघ का कोई अधिभार शेष नहीं है तो वह इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में ऐसे सदस्य की प्रार्थना को स्वीकार करेगा ।

(ड.) यदि किसी सदस्य के सदस्यता वापसी के प्रार्थना पर, प्रार्थना पत्र दिये जाने की तिथि से 30 दिन के अर्न्तगत संघ के बोर्ड द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति के सदस्यता वापस लेने पर बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त अवधि व्यतीत हो जाने पर उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी ।

(च) संघ के बोर्ड द्वारा किसी सदस्य के सदस्यता वापसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिये जाने का संकल्प पारित होने की तिथि से अथवा सदस्यता वापसी हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की तिथि से 30 दिन की अवधि व्यतीत हो जाने पर, वह सदस्य जिसने सदस्यता वापसी के लिये प्रार्थना पत्र दिया है, संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा और सदस्य के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

7(3) सदस्यों द्वारा अधिकारों/मताधिकार का प्रयोग :–

(क) संघ का सदस्य, सदस्य के अधिकारों का, जिसमें मत का अधिकार भी शामिल है, तब तक नहीं करेगा जब कि उसने सदस्यता के सम्बन्ध में संघ को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने संघ में ऐसा हित निरंतर न रखा हो तथा अर्जित न कर लिया हो जैसा कि इस संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यपालक अधिकारी पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बीस दिन के अन्दर एक सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार रखने वाले सदस्य होंगें, तथा एक ऐसी सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार न रखने वाले सदस्य होंगे, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधि

सचिव
...ण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
...र्बल व अरोमा पर्यटन विकास
...त सहकारिता संघ देहरादून

मान्य होगी। समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए सहकारिता के सूचना पटट् पर सूचियों चस्पा की जायेंगी तथा ऐसा कोई सदस्य जो सूचियों में सदस्यों के समावेश अथवा असमावेश के विशिष्ट उदाहरण से संतुष्ट नहीं है, सूचना पट्ट पर सूचियों के चस्पा किए जाने की तिथि से 10 दिन के अन्दर, बोर्ड को, अभिलेख का पुनः परीक्षण करने के लिए अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अन्दर सूचियों का पुनराविलोकन करेगा, उन्हें अन्तिम रूप देगा तथा सहकारिता के सूचना पट्ट पर चस्पा करेगा।

(ग) प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा कोई सदस्य मत देने के लिए पात्र बनने के पूर्व कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य रह चुका हो :

परन्तु यह और कि एक वर्ष की सदस्यता की शर्त उस सदस्य पर लागू नहीं होगी जो संघ के पंजीकरण/संपरिवर्तन के समय या पंजीकरण/संपरिवर्तन के पश्चात किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सदस्य बनते हैं ।

(घ) सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक सदस्य को उतने साम्य अंश क्रय किये जाने आवश्यक होंगे जो इस संगम अनुच्छेद में सदस्यों के दायित्व निर्धारण के लिये निर्धारित किये गये हों। यह प्रतिबन्ध सहकारिता के पदेन सदस्यों पर लागू नहीं होगा।

(ड.) सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य को उत्तराखण्ड के नागरिक होने का प्रमाणक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा तथा सहकारिता के किसी सदस्य, कर्मचारी, निदेशक बोर्ड, माध्यस्तम् अधिकरण से परिचय (Introduction) कराना भी आवश्यक होगा ।

7(4) **सदस्यता रजिस्टर :–**

सदस्यों का सदस्यता रजिस्टर सहकारिता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संकलित किया जायेगा जिसमे सदस्य का समस्त बायोडाटा अनिवार्य रूप से अंकित होंगे। सदस्यता रजिस्टर क प्रत्येक पृष्ठ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । सदस्यता समाप्त होने पर रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा।

[8] **साधारण निकाय : –**

(क) संघ का एक साधारण निकाय होगा जिसमें उसके सभी सदस्य सम्मिलित होंगे।

(ख) संघ के अन्तिम शक्ति उसके सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि साधारण निकाय का कोई निर्णय इस अधिनियम के अर्न्तगत संघ के निदेशक बोर्ड अथवा प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा।

[9] **साधारण निकाय के कार्य एवम् उत्तरदायित्व :–**

(1) अधिनियम 2003 की धारा 27 – की उपधारा (1),(2) के अनुसार निर्धारित होंगे तथा उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 28 की उपधारा (1),(2),(3),(4),(5) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सामान्य निकाय की बैठक बुलाई जायेगी। जिसकी गणपूर्ति सामान्य निकाय के कुल सदस्यों की 1/3 होगी। साधारण निकाय की बैठक में गणपूर्ति पूर्ण न होने की दशा में स्थगित कर दी जायेगी तथा स्थगित बैठक स्थगन के दिनांक से 16वें दिन आहूत होगी। जिसमें गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/5 से होगी।

(2) अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह संघ किसी 'सहायक सहाकारिता' की सदस्यता ग्रहण कर सकती है, ऐसा निर्णय साधारण निकाय की बैठक में साधारण संकल्प द्वारा लिया जायेगा तथा मताधिकार प्राप्त साधारण निकाय के सदस्यों के कम से कम 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से पारित किया जा सकेगा ।

(3) किसी 'सहायक सहकारिता' की सदस्यता ग्रहण करने का साधारण संकल्प पारित हो जाने पर 'सहायक सहकारिता' में उसका प्रतिनिधित्व करने हेतु मताधिकार प्राप्त साधारण निकाय के किन्हीं दो सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा और इन प्रतिनिधियों का कार्यकाल **प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी** के कार्यकाल के समकक्ष ही होगा ।

(4) साधारण निकाय द्वारा अपने वार्षिक साधारण निकाय सभा में ऐसे अन्य विषय के साथ, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझें जाए, निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जायेगा :–

(क) पिछले सभा के सकंल्पो पर कार्यवाही ;

(ख) दीर्घकालीन योजनाओं व बजट पर विचार, जब अपेक्षित हो ;

(ग) वार्षिक कार्यकारी योजना और चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार ;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ड.) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार ;

(च) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार ;

(छ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अनुमोदित बजट से विचलन, यदि कोई हो, और की जाने वाली समुचित कार्यवाही ;

(ज) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधिक्य का निपटारा, यदि कोई हो ;

(झ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के घाटे का प्रबंधन, यदि कोई हो ;

(ञ) विशिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन ;

(6)

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(ट) आरक्षित एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा ;

(ठ) सभाओं में उपस्थिति पर निदेशकों द्वारा की गई रिपोर्ट की समीक्षा ;

(ड) सहकारिता सेवाओं के उपयोग की निदेशको द्वारा समीक्षा ;

(ढ) किसी निदेशक या किसी समिति के किसी सदस्य या आंतरिक लेखापरीक्षक को उस हैसियत में उसके कर्तव्यों के संबंध में या संबंधित सभा में उसकी उपस्थिति के लिए दिए गए पारिश्रमिक की समीक्षा ;

(ण) गैर सदस्यों के मुकाबले में सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की मात्रा और प्रतिशत की समीक्षा ;

(त) ऐसा आवेदक जिसकी सदस्यता आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, की अपील पर सुनवाई एवं निर्णय ;

(थ) बोर्ड द्वारा सदस्यता से निकाले गए किसी व्यक्ति की अपील पर सुनवाई व निर्णय ;

(द) सदस्य शिक्षा तथा बोर्ड और कर्मचारीबृन्द के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों एवं लेखाओं की रिपोर्ट ;

(ध) रजिस्ट्रार को भेजे जाने वाली वार्षिक विवरणियों की समीक्षा ।

(5) निदेशक बोर्ड द्वारा जब निम्नलिखित और अन्य मामले आवश्यक समझे जाएंगे तो साधारण निकाय की वार्षिक सभा या अन्य सभाओं में उस पर कार्यवाही की जाएगी :–

(क) संगम अनुच्छेद में संशोधन ;

(ख) निदेशकों को हटाया जाना ;

(ग) बोर्ड की असामयिक रिक्तियों पर चुनाव/नियुक्ति ;

(घ) लेखा परीक्षकों को हटाया जाना और परिणामी नियुक्ति ;

(ङ) सहायक सहकारिताओं में सहकारिता की सदस्यता ;

(च) अन्य सहकारिताओं के साथ भागीदारी ;

(छ) आस्तियों एवं दायित्वों का समामेलन, विभाजन, संविलयन औरा अंतरण ;

(ज) सहकारिता का विघटन ;

(झ) रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार ;

(ञ) माध्यस्तम् अधिकरण का गठन ।

[10] साधारण सभा :–

(1) बोर्ड किसी भी समय संघ के सदस्यों की साधारण सभा बुला सकेगा :
परन्तु वार्षिक साधारण सभा के रूप में ज्ञात एक ऐसी सभा, जिसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर कार्यवाही हेतु संघ के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ पचास दिन के अन्दर बुलाई जायेगी ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से अध्यापेक्षा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एक विशेष साधारण सभा बुलाएगा :–

(क) मत देने का अधिकार रखने वाले कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों, अथवा 500 सदस्य, जो भी कम हो, अथवा

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में :
परन्तु ऐसी अपेक्षा में वे कारण निहित होंगें जिनके लिए सभा आवश्यक समझी गयी है तथा प्रस्तावित कार्यसूची में शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विशेष साधारण सभा में विचार नहीं किया जायेगा ।

(3) ऐसी कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान उपनियम (1) के अधीन वार्षिक साधारण सभा अथवा उपनियम (2) के अधीन विशेष साधारण सभा होनी आवश्यक है और यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट कालावधि में ऐसी सभा बुलाने में असफल रहता है तो समस्त निदेशक अपने पद पर नहीं रहेंगें ।

(4) सभी निदेशक वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निदेशक के रूप में पद पर नहीं रहेंगें यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, पूर्ववर्ती वषो के कार्य कलाप की रिपोर्ट के साथ सदस्यों को उस सभा में उपस्थित होने की सूचना के साथ उपलब्ध नहीं करा दी जाती जिसमें कि लेखा रिपोर्ट पर साधारण निकाय द्वारा विचार किया जाना हो और ऐसी साधारण सभा माध्यस्तम् अधिकरण द्वारा, बोर्ड अथवा माध्यस्तम् अधिकरण के सदस्यों को छोड़कर, नियुक्त अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी ।

[11] साधारण निकाय का कार्यवृत्त :–

सामान्य निकाय की कार्यवाही का कार्यवृत्त सहकारिता के सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा तैयार कार्यवृत्त अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जायेगा। अध्यक्षता किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। साधारण सभा के इस कार्यवृत्त की प्रतियां सम्बन्धित सदस्यों को 15, दिन के अन्दर सहकारिता के सचिव द्वारा अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी।

[12] निदेशक बोर्ड :–

(7)

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

1. निदेशक बोर्ड में 14 सदस्य होंगे।
2. पंजीकरण के समय कार्यरत निदेशक बोर्ड को प्रवर्तक बोर्ड कहा जायेगा। अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहकारिता के मुख्य प्रवर्तक होंगे।

[13] **निदेशक बोर्ड के सदस्य हेतु अर्हतायें :–**

1. निदेशक बोर्ड में निम्न सदस्य होंगेः–

(क). प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड –सभापति।
(ख). मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड –उपसभापति।
(ग). निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र, उ0 सरकार –निदेशक।
(घ). उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन –निदेशक।
(ड.). हर्बीकल्चर अधिकारी/वैज्ञानिक बी –निदेशक।
(च). संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड–निदेशक।
(छ). उपमहाप्रबन्धक (वि0 या0) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल –निदेशक।
(ज). महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड –निदेशक।
(झ). निदेशक, उद्यान विभाग –निदेशक।
(ञ). निदेशक बोर्ड द्वारा संघ के उद्देश्यों के अनुरूप कम से कम 05 विषेशज्ञ निदेशक जिनको निदेशक बोर्ड द्वारा सहयोजित (co-opted) किया जायेगा।

2– उस तिथि से जिससे ऐसा सदस्य निम्नलिखित कारणों से निदेशक नहीं रह गया हो, तीन वर्ष की कालावधि बीत गई हो –
(क) साधारण सभा का आयोजन न करना ;
(ख) साधारण निकाय को कार्य कलापों की रिपोर्ट, लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और/अथवा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो; अथवा
(ग) बोर्ड की सभा से अनुपस्थिति ।

[14] **निदेशक बोर्ड के सदस्य हेतु अनर्हतायें :–**

कोई सदस्य संघ के निदेशक बोर्ड का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि–
(1) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो ;
(2) यदि वह दिवालिया घोषित हो ;
(3) वह विकृत चित्त या बहरा या गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो ;
(4) उसे भारत के किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया हो जिसके विरूद्ध अपील रद्द न की गई हो ;
(5) उसके परिवार का कोई सदस्य निदेशक बोर्ड की अनुज्ञा के बिना, सहकारिता के कार्य–क्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारिता करती है ;
(6) अधिनियम या संघ के संगम अनुच्छेद के प्रतिकूल सहकारिता के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे ;
(7) संघ के सामान्य निकाय का मताधिकार प्राप्त सदस्य न हो ;
(8) उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो ;
(9) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध संघ ने उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा–48(5) के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ;
(10) यदि वह ऐसी किसी अन्य सहकारिता (सहायक सहकारिता को छोड़कर) में भी सदस्य हो जिसका कार्य, कारोबार व उद्देश्य इस सहकारिता के अनुरूप हैं ;
(11) राजकीय सेवा या किसी सहकारिता/सहकारी समिति की सेवा अथवा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या बेईमानी करने के पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ;
(12) किसी ऐसी संघ के पंजीकरण के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसके निदेशक बोर्ड का सदस्य रहा हो जो उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा–52 की उपधारा–4 के खण्ड–'क' के अर्न्तगत समापित कर दी गई हो, और समापन का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो ।
(14) अधिनियम या संघ के संगम अनुच्छेद के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो ;
(15) निदेशक बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे;

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

[15] **अनर्ह निदेशक को बोर्ड की सदस्यता से हटाया जाना :–**

जैसे ही यह तथ्य निदेशक बोर्ड कि की जानकारी में आये कि बोर्ड का कोई सदस्य/निदेशक किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, तो निदेशक इस प्रयोजन के लिए साधारण निकाय की आवयक बैठक बुलायेगा जिसमें इस विषय पर

विचार किया जायेगा । ऐसी बैठक की कार्य सूची की एक प्रति उस सदस्य/निदेशक को जिसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जायेगी । यदि सम्बन्धित सदस्य/निदेशक को ऐसी अर्नहता के कारण निदेशक बोर्ड से हटाने का संकल्प पारित हो जाय तो संकल्प की एक प्रति भी सम्बद्ध व्यक्ति को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी भी अन्य प्रकार से निदेशक बोर्ड के सदस्य के रूप में निदेशक बोर्ड की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी । ऐसे निदेशक/सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा, वह सदस्य ऐसी कार्यवाही से व्यथित हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर माध्यस्तम् अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा और माध्यस्तम् अधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा ।

[16] सहकारिता का प्रबंधः–

सहकारिता का समस्त कार्य कार्यकारिणी समिति अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होगा।

[17] बोर्ड की सभाः–

1– स्वायत्त सहकारिता अधिनियम–2003 की धारा 35 की उपधारा 1 से 7 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बोर्ड की बैठक आहूत एवं सम्पन्न कराई जायेगी। बैठक हेतु गणपूर्ति, निदेशकों की कुल संख्या के आधे से अधिक की होगी।

2– बोर्ड की सभा सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार या उतनी बार जितने बार सहकारिता के कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक हो, आहूत की जायेगी ;

प्रतिबन्ध यह कि निदेशक बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम चार बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी और किन्ही दो क्रमवर्ती सभाओं के बीच की कालावधि एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।

3– संघ का अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड की सभा किसी भी समय बुला सकेगा।

4– निम्नलिखित द्वारा अधियाचन दिए जाने पर अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधियाचन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा :–

(क) बोर्ड के कम से कम एक तिहाई निदेशकों से; या

(ख) लेखापरीक्षक से

परन्तु ऐसे किसी भी अधियाचन में वे कारण निहित होंगे जिनसे सभा आवश्यक समझी गयी हो और प्रस्तावित कार्यसूची तथा उसमें शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बोर्ड की विशेष सभा में विचार विमर्श नहीं किया जाएगा ।

5– संघ अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में बोर्ड की प्रत्येक सभा का कार्यवृत्त रखेगी और मुख्य कार्य पालक अधिकारी ऐसी प्रत्येक सभा की समाप्ति के सात दिन के अन्दर कार्यवृत्त की प्रति सभी निदेशकों को भेजेगा ।

6– इस प्रकार से अभिलिखित कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर, सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा या उस आगामी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जिसमें कि कार्यवृत्त की कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है ।

7– निदेशक बोर्ड की बैठक का एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व निकाले।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

बोर्ड के कार्य दायित्व एवं शक्तियाँ निम्न प्रकार होंगी:–

[18](1). निदेशक बोर्ड के कार्य एवं अधिकार :–

1– निदेशक बोर्ड पर संगम अनुच्छेद के नियम तथा अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।

2– संघ के सदस्य खातों व वित्त संबंधी प्रपत्रों का परिचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

3– संघ की सदस्यता स्वीकृत करना तथा सदस्यता समाप्त करना।

4– संघ के व्यवसाय एवं कार्यों में वृद्धि हेतु कार्य योजनाओं का अनुमोदन करना।

5– संगम अनुच्छेद के अर्न्तगत बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुये सहकारिता के लिए वैतनिक या अवैतनिक अधिकारियों की नियुक्ति, अपदस्थ, पृथक तथा निनम्बित करना या अन्य प्रकार से दण्ड देना या प्रतिभूति मांगना ।

6– उपभोक्ता भण्डार, सामूहिक भोजनालय, परिवहन सेवा, स्कूल, चिकित्सालय, क्लब आदि सामाजिक तथा मनोरंजन सस्थाओं जिनकी मांग सदस्यों द्वारा की जाय, संगठित करना तथा चलाना ।

7– संगम अनुच्छेद व अधिनियम के अनुसार आयोजित की जाने वाली बैठकों की व्यवस्था करना और वार्षिक बैठक में पूर्ववर्ती वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आय–व्यय के लेखे तथा सन्तुलन पत्र तथा सदस्यों या रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करना ।

8– संघ के वार्षिक संतुलन पत्र प्रकाशित करना ।

9– संघ के कार्य कलापों से सम्बन्धित वदों या विधिक कार्यवाहियों की, जो सहकारिता द्वारा या उसके विरूद्ध दायर की गई हो, उन्हें निदेशक बोर्ड के किसी सदस्य या सहकारिता के सचिव या इस सम्बन्ध

में विशेष रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संचालित करना, प्रतिरक्षा करना या उनमें समझौता करना ।

10– संघ I द्वारा लिये गये ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों में किया जा रहा है जिसके लिये उनकी स्वीकृति दी गई थी, को सुनिश्चित करना ।

11– सदस्यों द्वारा सहकारिता से लिये गये ऋणों व अन्य भुगतान के ठीक समय पर भुगतान की देख रेख तथा उनकी वसूली के लिए समुचित प्रबन्ध करना ।

12– समिति के लेखों का परीक्षण तथा जांच करना तथा इस बात को सुनिश्चित करना कि समिति का हिसाब तथा लेखे निर्धारित प्रपत्रों पर रक्खे जा रहे हैं ।

13– समस्त प्रकार के व्ययों की स्वीकृति देना ।

14– लेखा परीक्षा सम्बन्धी टिप्पणियों पर विचार तथा कार्यवाही करना और यदि आवश्यक हो, उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव करना ।

15– अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबन्धों तथा संगम अनुच्छेद में बनाये गये विनियमों का पालन सुनिश्चित करना व कराना ।

16– संघ के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा इन संगम अनुच्छेद व स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत उनके हितों की रक्षा करना व उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये प्रयासरत् रहना

17– संघ के हितों की रक्षा करना ।

[18](2). अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

क– संस्था की कार्यकारिणी समिति व आमसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख– संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो कार्यकारिणी समिति व आमसभा से स्वीकृति हो, करवाना।

ग– अधिनियम एवं इस संगम अनुच्छेद के उपबन्धों एवं विनियमों के अर्न्तगत निदेशक बोर्ड तथा सामान्य निकाय की बैठक बुलवाये जाने हेतु एजेण्डा निर्गत करना।

घ– यदि किसी कार्यकारिणी की बैठक में बलवे या खुली हिंसा के कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाये या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य अकाट्य कारण से बैठक की कार्यवाही आगे चलाये जाने में व्यवधान उत्पन्न हो तो उस बैठक को आगामी दिनांक तक के लिये स्थगन करना।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार स्थगित बैठक स्थगन की तिथि से सौलवें दिन आहूत की जायेगी ।

च– संस्था के बैंक/बैंकों में खुले खातों पर सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करना ।

छ– निदेशक बोर्ड एवं सामान्य निकाय की बैठक में किसी प्रस्ताव पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

ज– निदेशक बोर्ड के नियन्त्रण में कार्य करना । निदेशक बोर्ड एवं सामान्य निकाय की बैठकों में भाग लेना व बैठकों का कार्यवृत्त इस प्रयोजन हेतु बनाई गई पंजिका में लिखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना तथा संस्था में कोष का संचालन अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना ।

झ– संस्था के समस्त अभिलेखों तथा विभिन्न बहियों को उचित रूप से अध्यावधिक पूर्ण रखना। अधिनियम एवं संगम अनुच्छेद के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप में रखना तथा उन्हें ठीक समय पर प्रस्तुत करना;

कैश बुक पर हस्ताक्षर करना और जब कभी निदेशक बोर्ड का कोई सदस्य उससे शेष रोकड़ जांच हेतु प्रस्तुत करने को कहे तो उसे प्रस्तुत करना।

ञ– प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आगामी एक माह की भीतर समाप्त होने वाले वर्ष का संतुलन पत्र तथा आय व्यय विवरण पत्र तैयार करना तथा अन्य ऐसे विवरण पत्र और प्रतिवेदन तैयार करना जो निदेशक बोर्ड अथवा इस संगम अनुच्छेद के अर्न्तगत वांछनीय हों ।

ट– जब तक संघ में किसी कोषाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई हो तब तक निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार सहकारिता की समस्त अथवा उतनी सीमा तक जितनी की निदेशक बोर्ड द्वारा नियत की जाय, धनराशि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व वहन करना ।

[18] (3) सचिव/कोषाध्यक्ष :–

1– निदेशक बोर्ड द्वारा नियत की गई सीमाओं के अन्दर प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय करना ।

2– सहकारिता की ओर से धनराशि प्राप्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना ।

3– निदेशक बोर्ड की अनुमति से संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना ।

4– निदेशक बोर्ड की अनुमति से विभिन्न न्यायालयों में संस्था की ओर से वाद योजित करना व संस्था के विरूद्ध योजित वादों की पैरवी करना ।

5– निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष अथवा कुल निदेशकों की संख्या के आधे से अधिक निदेशकों की अनुमति से निदेशक बोर्ड की बैठकों का एजेण्डा जारी करना।

6– संस्था के व्यवसाय एवं कार्यों की वृद्धि के लिये कार्य योजना तैयार कर निदेशक बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु रखना ।

7– निदेशक बोर्ड द्वारा अधिनियम व इन संगम अनुच्छेद के विपरीत कार्य करने की दशा में साधारण निकाय व माध्यस्तम अधिकरण को सूचित करना। किन्तु जहां, साधारण निकाय या माध्यस्त अधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार को सूचित करना।

8– अधिनियम में विहित उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो संगम अनुच्छेद अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा उसको प्रदत्त किये जायें ।

(10)

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

यदि कोषाध्यक्ष नियुक्त हो जाय तो वह संघ द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियों को अथवा उतनी सीमा तक जितनी की निदेशक बोर्ड द्वारा नियत की जाय अपने प्रभार में रखेगा और मुख्यकार्यपालक अधिकारी तथा निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार उनका वितरण करेगा। वह इस तथ्य के प्रतीक स्वरूप कि कैश बुक सही भरी गई है उस पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ हस्ताक्षर करेगा और जब कभी निदेशक बोर्ड का कोई सदस्य व मुख्य कार्यपालक अधिकारी उससे शेष रोकड़ जांच हेतु प्रस्तुत करने को कहे तो उसे प्रस्तुत करेगा। वह अपनी व्यक्तिगत् अभिरक्षा में निदेशक बोर्ड द्वारा समय समय पर नियत की गई सीमा के अन्दर ही धनराशि रख सकता है।

[19] वित्त–

(क) निधियां

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघ निम्नानुसार निधियां जुटायेगी :–

1– कुल कार्यशील पूंजी का पचास प्रतिशत तक अपने सदस्यों से साम्यपूंजी के रूप में; एक साम्य अंश का मूल्य 1000.00 (एक हजार रूपये) होगा ।

2– कुल कार्यशील पूंजी का 25 प्रतिशत तक अपने सदस्यों से निक्षेप के रूप में;

3– कुल कार्यशील पूंजी का 25 प्रतिशत तक वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से ऋण के रूप में; प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सदस्य हेतु साम्यपूंजी की राशि का अनुपात सदैव बराबर बना रहेगा ; और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी सदस्य द्वारा सहकारिता में जमा किये गये निक्षेप पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई लाभांष देय न होगा ।

4– अन्य किसी स्रोत से अनुदान के रूप में ;

5– संघ अपना समस्त धन बैंक अथवा डाकघर में रखेगी अथवा सरकारी बचतपत्रों में निवेश करके सुरक्षित रखेगी ;

6– संघ अपना धन किसी सहकारी समिति, कम्पनी, फर्म, निगम में निक्षेप अथवा शेयर क्रय करने के लिये निवेश नहीं करेगी ;
परन्तु किसी ऐसी सहकारिता अथवा सहायक सहकारिता जिसके साथ सहकारिता सम्बद्ध हो या कारोबार करती हो में उतनी सीमा तक शेयर में निवेश कर सकती है जितना की ऐसी सहकारिता अथवा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेदों में सदस्यता ग्रहण करने या कारोबार करने के लिये तय की गई हो ।

6– संस्था प्राप्त धन/दान/वित्तीय सहायता को समिति के उद्देश्यों के अनुसार तथा निदेशक बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से ही व्यय कर सकेगी;
परन्तु किये गये व्यय की सीमा एवं वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित निर्धारित वार्षिक बजट व प्रयोजन के अन्तर्गत ही होगी।

7– संस्था का कोई सदस्य अपना शेयर अन्य सदस्य को अन्तरण करने से पूर्व बोर्ड को प्रार्थना पत्र देगा तथा स्वीकृति के उपरान्त ही सदस्य का शेयर दूसरे सदस्य को हस्तान्तरित किया जायेगा।

अधिशेष का निपटारा :–

7– संघ एक घाटा सुरक्षित निधि बनायेगी जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त अधिशेष का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करेगी ;

8– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 20 प्रतिशत सहकारिता के सदस्यों में बराबर वितरित किया जायेगा ;

9– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 05 प्रतिशत अविभाज्य समूह निधि में जमा किया जायेगा ;

10– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 30 प्रतिशत कारोबार विकास निधि में जमा किया जायेगा ;

11– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 10 प्रतिशत कर्मचारीबृन्द को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए ;

12– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 05 प्रतिशत सदस्यों एवं कर्मचारीबृन्दों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा निधि के लिए;

13– वित्तीय वर्ष के अन्त में अधिशेष का 05 प्रतिशत समाजिक कार्यों, प्रचार प्रसार के लिए।

14– संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

(ख) घाटे का प्रबन्धन

किसी वित्तीय वर्ष में संघ के कारोबार से प्रोद्भूत घाटा, यदि कोई हो, घाटा सुरक्षित निधि से समाधान किया जायेगा ;

परन्तु जहां घाटा सुरक्षित निधि से घाटे का समाधान होने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में सहकारिता के सदस्यों में घाटा प्रभार के रूप में घाटे का संपूर्ण भाग का विकलन करके पूर्णतया समाधान इस प्रकार किया जायेगा कि प्रत्येक सदस्य का प्रभार बराबर हो :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा घाटा अनुमोदित योजना या बजट से विभाजन का परिणाम है और जहां विचलन को साधारण निकाय का अनुमोदन प्राप्त नहीं है या जो कुप्रबन्ध और घोर उपेक्षा का परिणाम है, घाटे में अभिदाय करने के लिए रकम की वसूली हेतु उसके निदेशकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ; (11)

परन्तु यह और कि जहां ऐसी रकमें वसूल की जाती हैं, वहां साधारण निकाय रकम का एक या सम्पूर्ण भाग घाटा सुरक्षित निधि में या प्रत्येक सदस्य के खाते में उस पर लगाए गये घाटा प्रभार के अनुपात में जमा करने का संकल्प ले सकेगी ।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास

लेखा परीक्षणः—सहकारिता का वित्तिय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, इसकी समस्त चल,अचल सम्पति का लेखा सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा इसका आडिट अंकेक्षक द्वारा किया जाऐगा।

1— संघ को प्रत्येक वित्तिय वर्ष के अन्त में लेखा परीक्षा करानी अनिवार्य होगी।

2— संघ का कारोबार दस लाख रूपये से अधिक होने पर लेखों को चार्टर्ड एकाउन्टेट से परीक्षित करायेंगी।

3— संघ का कारोबार दस लाख से कम होने पर संघ के सामान्य निकाय द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। जिसमें दो लेखा परीक्षक होंगे, इन लेखा परीक्षकों का कार्यकाल एक वर्ष होगा लेखा परीक्षक विगत वर्ष की विस्तृत परीक्षण करेंगे तथा वस्तुस्थिति को अवगत कराते हुये यदि कोई अनियमिततायें प्रकाश में आयें तो उनका निराकरण करायेंगे।

4— लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक सहकारिता की सामान्य निकाय द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार तय किया जायेगा।

5— संघ के सामान्य निकाय अपने लेखों की आन्तरिक परीक्षण हेतु सदस्यों में से दो या तीन आवश्यकतानुसार आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करेंगे।

ऐसा न होने पर इनका निर्धारण मध्यस्थ अभिकरण द्वारा किया जायेगा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यस्थायें/कार्यवाहियां इस अधिनियम की धारा 44 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निहित होंगे।

6— यदि संघ द्वारा किसी सहायक सहकारिता की सदस्यता ग्रहण की गई हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सहकारिता को अर्जित शुद्ध लाभ का पांच प्रतिशत अथवा एक हजार रूपये, जो भी अधिक हो, को उस सहायक सहकारिता के इस प्रयोजन हेतु बनाई गई निधि में जमा करेगी, जो सहाकरिता की कारोबार विकास निधि से दिया जा सकेगा।

[20]— **सदस्यों एवं निदेशकों के दायित्व की सीमा का निर्धारण :—**

(क) संघ की पूंजी पर सहकारिता के सदस्यों (निदेशक बोर्ड के सदस्यों सहित) बराबर का अधिकार होगा; और

(ख) संघ के दायित्वों के लिये सहकारिता के सदस्यों (निदेशक बोर्ड के सदस्यों सहित) का बराबर का उत्तरदायित्व होगा।

[21] **सामान्य बैठक :—**

क— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आमसभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

ख— वार्षिक आमसभा की बैठक आर्थिक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलाई जायेगी।

ग— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की कम से कम चार बैठकें होना आवश्यक है।

घ— कार्यकारिणी समिति बैठक एवं सामान्य बैठक में 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूर्ण करेगी।

च— सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा।

[22] **संस्था के अभिलेखः—**

संस्था के निम्न अभिलेख होगें।

1— सदस्यता रजिस्टर।
2— कार्यवाही रजिस्टर।
3— एजेन्डा रजिस्टर।
4— स्टॉक रजिस्टर।
5— बैंक पास बुक।
6— कैश बुक जो सचिव/कोषाध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी।
7— सदस्यों के घोषणा पत्र, सदस्यता फार्म, अन्य उपबन्ध यदि कोई हों ।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

[23] **निधियां:—**

(क) संस्था किसी भी वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता से सकेगी।

(ख) संस्था अपनी शर्तों पर सदस्यों को ऋण प्रदान कर सकेगी।

(ग) संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगी।

(घ) संस्था प्राप्त धन/दान/वित्तीय सहायता को समिति के उद्देश्यों के अनुसार तथा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से खर्च करेगी।

(च) संस्था का कोई सदस्य अपना शेयर अन्य सदस्य को अन्तरण करने से पूर्व बोर्ड को प्रार्थना पत्र देगा तथा स्वीकृति के उपरान्त ही सदस्य का शेयर दूसरे सदस्य को हस्तान्तरित किया जायेगा।

(छ) संघ वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था, व्यक्ति, बैंक, सदस्य, गैर सदस्यों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता ले सकेगी।

(य) संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी।

(र) संघ द्वारा अर्जित की गई निधियों का उपयोग अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) एवं (2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

[24] संस्था के विघटनः–

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी।

[25] न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

सदस्य न्यायालय में संघ के नाम से संघ की ओर से अथवा सहकारिता के नाम से वाद दायर किया जा सकेगा अथवा वाद में पैरवी की जा सकेगी। वाद –विवाद का न्यायिक क्षेत्र मात्र जनपद न्यायालय देहरादून एवं उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड तक सीमित है।

[26] माध्यस्थम् अभिकरणः–

1– संघ में विवादों के निपटारे के लिये एक या एक से अधिक तीन सदस्यीय मध्यस्थ अभिकरण का गठन सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा तथा मध्यस्थ अधिकरण का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

2– मध्यस्थ अभिकरण के लिए पात्रताः
(क) वह सहकारिता का सदस्य हो।
(ख) वह 25 वर्ष से कम न हो।
(ग) मत देने का अधिकार रखता हो।
(ध) बोर्ड का सदस्य न हो।

3– यदि संघ बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि तक अगामी बोर्ड के चुनाव सम्पन्न न कराने की स्थिति में तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त मध्यस्थ अभिकरण को तदर्थ बोर्ड नियुक्त करने का अधिकार होगा अथवा बोर्ड निर्धारित अवधि से पूर्व भी किन्हीं कारणवश भंग होने की दशा में मध्यस्थ अभिकरण को तदर्थ बोर्ड नियुक्त करने का अधिकार होगा।
संघ के सामान्य निकाय को अधिकार होगा कि वह मध्यस्थ अभिकरण को उसके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व हटा/परिवर्तित कर सकेगा यदिः–
(क) मध्यस्थ अभिकरण ने अधिनियम एवं इस संगम अनुच्छेद के विपरीत कार्य किया हो।
(ख) मध्यस्थ अभिकरण अथवा उसके किसी सदस्य की अकस्मात् मृत्यु हो गई हो।
(ग) मध्यस्थ अभिकरण अथवा उसका कोई सदस्य सहकारिता का बकायादार हो गया हो।

[27] माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा तदर्थ बोर्ड के सदस्य के रूप में पात्रता/अपात्रताः–
स्वायत्त सहकारिता अधिनियम–2003 की धारा 32 के प्राविधानों एवम् निम्नानुसार होगीः–
1:– सामान्य निकाय का सदस्य हो।
2:– मध्यस्थ अधिकारण के पद पर रहने के उपरान्त 3 वर्ष न बीत गये हो।
3:– संघ में मत देने का अधिकार हो।
4:– सहकारिता के कार्यो में प्रोत्साहन दिया हो।ह

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(10) किसी भी प्रकार के वाद का निपटारा उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 48 में किये गये प्रविधान के अनुसार किया जायेगा।

(11) अन्तरण शुल्क समिति का कोई सदस्य यदि अपने भवन अथवा प्लाट का विक्रय समिति की सहमति के उपरान्त ही कर सकेगा, समिति को कुल लागत मूल्य का दो प्रतिशत अन्तरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा।

नाम	विभाग का नाम	पता	पद	हस्ता0
डा0 धनन्जय मोहन	वन विभाग	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष	
श्री राहुल	वन विभाग	मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड	सचिव	
श्री नृपेन्द्र कुमार चौहान	निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड सरकार	सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड	सदस्य	
श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया	वित्त	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	
डा0 धन सिंह बिष्ट	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान हर्बीकल्चर अधिकारी/वैज्ञानिक बी.	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल, गोपेश्वर चमोली	सदस्य	

6	डॉ रविन्द्र प्रताप सिंह	आयुर्वेदिक सेवायें उत्तराखण्ड शासन	संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	
7	श्री अनिल कुमार	कृषि (वि0या0)	उपमहाप्रबनधक कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	सदस्य	
8	श्री रोहित मीना	उद्योग, निदेशालय, उत्तराखण्ड	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य	
9	श्रीमती दीप्ति सिंह	उद्यान विभाग	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य	
10	डॉ सैय्यद फारूक अहमद	मै0 हिमालयन वैलनेस कम्पनी, देहरदून।	देहरादून।	सदस्य	
11	श्री विनय अग्रवाल	प्रोपराईटर मै0 देवभूमि रतन हर्बल	ग्राम–बिचई, पूर्णगिरी जनवद चम्पावत	सदस्य	
12	श्री अनवर हैदर जैदी	उपाध्यक्ष मै0 हर्बल कॉन्सेप्ट हैल्थ केयर प्रा0लि0 प्लॉट नं0– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	प्लॉट नं0– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	सदस्य	
13	श्री अनुप त्यागी	उपाध्यक्ष मै0 अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा0लि0	ग्राम–जमरिया, सिली मल्ली बीरोखाल, जनपद पौड़ी गढवाल	सदस्य	
14	डा0 बहादुर सिंह कालाकोटी	विशेषज्ञ–जड़ी–बूड़ी, हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म	बी0–401 माधव अपार्टमेंट, राजारानी विहार हल्द्वानी	सदस्य	

हस्ता0 सचिव

हस्ता0 मुख्य प्रर्वतक/अध्यक्ष

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK11056088698461W
Certificate Issued Date	:	14-Mar-2024 02:17 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1377304/ NEHRU COLONY/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK137730428839314083575W
Purchased by	:	DR DHANANJAI MOHAN AND MR RAHUL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DR DHANANJAI MOHAN AND MR RAHUL
Second Party	:	TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
Stamp Duty Paid By	:	DR DHANANJAI MOHAN AND MR RAHUL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) NOTARIAL

KARTIKAY VISHNOI
STAMP VENDOR
COURT COMPOUND, D.DUN

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
संघ हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(15)

शपथ पत्र

समक्ष :– निबन्धक सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड देहरादून।

1– हम डा0 धनन्जय मोहन प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़ एवं श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड 85 राजपुर रोड़ देहरादून प्रस्तावित उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून के मुख्य प्रर्वतक/अध्यक्ष एवं सचिव हैं

2– यह कि उक्त हमारा नाम, पद व पता सही है।

3– यह कि प्रस्तावित उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून, के प्रस्तावित समस्त सदस्यों के नाम व पते सही है।

4– यह कि हम प्रस्तावित उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून के अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य किसी स्वायत्त सहकारी संघ के सदस्य नहीं है।

5– प्रस्तावित उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून, के समस्त सदस्य अलग–अलग विभाग के सदस्य है।

6– यह कि हम प्रस्तावित स्वायत्त संघ के प्रारम्भिक सदस्यों को जानते हैं तथा इनके नाम व पते सही हैं।

7– यह कि हम उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के प्राविधानों का पालन करेंगे।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 7 तक मेरें संज्ञान मे सही एवं सत्य हैं

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

अनुसूची–ख
धारा 3 (ख) एवम् 3(5)
संगम ज्ञापन
(स्वायत्त सहकारिता संघ के पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र)

1.हम निम्न लिखित व्यक्तिः–

क. सं0	नाम सदस्य	विभाग का नाम	डाक का पूरा पता	व्यवसाय
1	डा0 धनन्जय मोहन	प्रमुख वन संरक्षक,	वन पंचायत, उत्तराखण्ड़	सरकारी सेवा
2	श्री राहुल	मुख्य वन संरक्षक,	एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड़	सरकारी सेवा
3	श्री नृपेन्द्र कुमार चौहान	निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड़ सरकार	सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड़	सरकारी सेवा
4	श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया	उप सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन	उत्तराखण्ड़ शासन	सरकारी सेवा
5	डा0 धन सिंह बिष्ट	हर्बीकल्चर अधिकारी/वैज्ञानिक बी.	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल, गोपेश्वर चमोली	सरकारी सेवा
6	डा0 रविन्द्र प्रताप सिंह	संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक सेवायें उत्तराखण्ड़ शासन	उत्तराखण्ड़ शासन	सरकारी सेवा
7	श्री अनिल कुमार	उपमहाप्रबनधक (वि0या0) उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	सरकारी सेवा
8	श्री रोहित मीना	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड़	उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड़	सरकारी सेवा
9	श्रीमती दीप्ति सिंह	निदेशक, उद्यान विभाग	उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड़	सरकारी सेवा
10	डा0 सैय्यद फारूक अहमद	मै0 हिमालयन वैलनेस कम्पनी, देहरदून।	देहरादून।	उद्यमी
11	श्री विनय अग्रवाल	प्रोपराईटर मै0 देवभूमि रतन हर्बल	ग्राम–बिचई, पूर्णगिरी जनपद चम्पावत	उद्यमी
12	श्री अनवर हैदर जैदी	उपाध्यक्ष मै0 हर्बल कॉन्सेप्ट हैल्थ केयर प्रा0लि0 प्लॉट नं0–02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	प्लॉट नं0– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	उद्यमी
13	श्री अनुप त्यागी	उपाध्यक्ष मै0 अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा0लि0	ग्राम–जमरिया, सिली मल्ली बीरोखाल, जनपद पौढ़ी गढ़वाल	उद्यमी
14	डा0 बहादुर सिंह कालाकोटी	विशेषज्ञ–जड़ी–बूड़ी, हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म	बी0–401 माधव अपार्टमेंट, राजारानी विहार हल्द्वानी	उद्यमी

अपने को उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अर्न्तगत एक सहकारिता संघ के रुप में पंजीकृत कराना चाहते हैं।

2. पंजीकरण के प्रायोजक के लिए उपर्युक्त क्रम संख्या 01 पर डा0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड .हमारे प्रतिनिधि होंगे और सभी पत्र व्यवहार उनको सहकारिता के पते पर किया जाऐगा।

(17)

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

3. हमारी सहकारिता का नाम :– **उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून।**

4. हमारी सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय– 85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,वन पंचायत उत्तराखण्ड।

5. हमारी सहकारिता का उद्देश्य :– संगम अनुच्छेद के अनुसार।

6. हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची 'क' में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तो के लिए प्रतिबद्व है और इन्ही के अनुरुप सहकारिता का प्रबन्ध करने का इरादा रखते हैं।

7. हमने निम्नलिखित कागजात संलग्न किऐ हैं:–

(क) हम प्रवत्तको द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ का संगम अनुच्छेद :

(ख) बैठक में संगम अनुच्छेद को अंगीकार करते हुए पारित किऐ गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि।

(ग) डा0 धनन्जय मोहन (अध्यक्ष) द्वारा वकील से घोषणा पत्र कि पंजीकरण के संबध में हमारे द्वारा इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन किया गया है।

8. उन व्यक्तियों के नाम जो तदर्थ कमेटी (एडाप कमेटी) के सदस्य चुने गये जो कि प्रस्तावित सहकारी संघ के कार्यकलापों का सम्पादन सहकारी संघ के निबन्धन तिथ 90 दिनों की अवधि तक अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि, जिसको निबन्धक द्वारा लिखित रूप से आज्ञा दी गई हो करेगी:–

क्र.सं0	नाम	विभाग का नाम	पता	पद	हस्ता0
	डा0 धनन्जय मोहन	वन विभाग	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष	[signature]
	श्री राहुल	वन विभाग	मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड	सचिव	[signature]
	श्री नृपेन्द्र कुमार चौहान	निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड सरकार	सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड	सदस्य	[signature]
	श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया	वित्त	वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	[signature]
	डा0 धन सिंह बिष्ट	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान हर्बीकल्चर अधिकारी/वैज्ञानिक बी.	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल, गोपेश्वर चमोली	सदस्य	[signature]
	डॉ रविन्द्र प्रताप सिंह	आयुर्वेदिक सेवायें उत्तराखण्ड शासन	संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	[signature]
	श्री अनिल कुमार	कृषि (वि0या0)	उपमहाप्रबनधक कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	सदस्य	[signature]
	श्री रोहित मीना	उद्योग, निदेशालय, उत्तराखण्ड	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य	[signature]
	श्रीमती दीप्ति सिंह	उद्यान विभाग	निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य	[signature]

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

10	डॉ सैय्यद फारूक अहमद	मै0 हिमालयन वैलनेस कम्पनी, देहरदून।	देहरादून।	सदस्य	
11	श्री विनय अग्रवाल	प्रोपराईटर मै0 देवभूमि रतन हर्बल	ग्राम–बिचई, पूर्णगिरी जनवद चम्पावत	सदस्य	
12	श्री अनवर हैदर जैदी	उपाध्यक्ष मै0 हर्बल कॉन्सेप्ट हैल्थ केयर प्रा0लि0 प्लॉट नं0– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	प्लॉट नं0– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	सदस्य	
13	श्री अनुप त्यागी	उपाध्यक्ष मै0 अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा0लि0	ग्राम–जमरिया, सिली मल्ली बीरोखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल	सदस्य	
14	डा0 बहादुर सिंह कालाकोटी	विशेषज्ञ–जड़ी–बूड़ी, हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म	बी0–401 माधव अपार्टमेंट, राजारानी विहार हल्द्वानी	सदस्य	

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

No. AHW3/ ... /2023 Agriculture and Farmers Welfare Department Computer No. 56720
/155433/2023
/155433/2023

ई-मेल द्वारा प्राप्त।

उत्तराखण्ड राज्य में Non Timber Forest Produce Development, Herbal and aroma टूरिज्म की गतिविधियों के सम्बन्ध में दिनांक 11.09..2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न (HPC) बैठक का कार्यवृतः—

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही—

1. श्री रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ0 धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड।
3. श्री दीपेंद्र कुमार चौधरी, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन।
4. श्री जी0एस0पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा परियोजना देहरादून।
5. डॉ पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
7. डा0 पूजा गर्ब्याल, अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
8. डा0 एस0के0सिंह, सलाहकार जायका परियोजना, उत्तराखण्ड।
9. डा0 नृपेन्द्र चौहान, निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई।
10. डा0 मिथिलेश कुमार संयुक्त निदेशक/ड्रग कंट्रोलर आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उत्तराखण्ड।
11. डा0 एस0 फारूख, हिमालय वेलनेस कंपनी देहरादून।
12. श्री विवेक दीक्षित, GM Ban Labs देहरादून।
13. डॉ0 वी0 के0 तिवारी, प्लांट हेड, प्लेनेट हर्बल, देहरादून।
14. डॉ0 वेद प्रिय आर्या, हेड, हर्बल रिसर्च, पतंजलि हरिद्वार।
15. डॉ0 संतोष कुमार जोशी, हेड, R&D, हमदर्द लैब, गाजियाबाद।
16. डॉ0 पंकज प्रसाद रतूड़ी, हेड, R&D, डाबर इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद।
17. श्री अर्जुन मुल्तानी, वाईस चेयरमैन, मुल्तानी फार्मा, देहरादून।
18. डॉ0 मंजीत सिन्हा, वाईस-प्रेजिडेंट, मुल्तानी फार्मा, देहरादून।
19. डॉ0 ललित अग्रवाल, वैज्ञानिक-बी, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई।
20. डॉ0 पंकज बिजल्वाण, सलाहकार, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई।
21. श्री रचित राणा, प्रतिनिधि, मैकेन्जी टीम, उत्तराखण्ड।
22. कु0 रिया, प्रतिनिधि, मैकेन्जी टीम, उत्तराखण्ड।
23. डॉ0 डी0एस0विष्ट, वैज्ञानिक, जडी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित विभिन्न इंडस्ट्री प्रतिनिधियों का परिचय कराया गया। परिचय उपरान्त डा0 नृपेन्द्र चौहान, निदेशक, कैप द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम मे विभिन्न हितधारकों से प्रस्तावित परियोजना पर सुझाव मागे गये थे।

Imp
PCCF-Van Panchayat
HoFF

S.P.A.
प्र0 आ0 का0 के0

Generated from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 20/09/2023 12:00 P

P.C.C.F. V.P.

अध्यक्ष
सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(20)

हितधारकों से प्राप्त सुझावों को परियोजना में सम्मिलित करने हेतु संकलित कर लिये गये हैं।

तदोपरान्त सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई एवं वन विभाग के सहयोग से मैकेन्जी टीम द्वारा तैयार की गयी 10 वर्षीय जडी–बूटी एवं हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म परियोजना के सम्बन्ध में विभिन्न हितधारकों तथा विभाग से प्राप्त सुझावों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

2– बैठक में सम्यक विचारोपरान्त HPC द्वारा निम्न निर्णय लिए गये:–

1. वन पंचायतों द्वारा परियोजना में प्रस्तावित गतिविधियों के अनुसार अपने माइक्रो प्लान को संशोधित कर लिया जाय।
2. वन पंचायतों मे टेन्टेड कॉलोनी, होमस्टे एवं कैंपिंग साइट आदि गतिविधियां स्थानीय स्तर पर वन विभाग के नियमों के अनुसार संचालित किये जाय।
3. गैर–कास्ठ वन उत्पाद (Non Timber Forest Produce) में कुछ वृक्ष प्रजातियों को भी स्थानीय मांग के अनुसार प्राथमिकता दी जाय।
4. फेडरेशन के ढांचे में विभिन स्तर पर निजी इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी शामिल किया जाय।
5. प्लान्टिंग मटेरियल किसी भी प्रमाणित सरकारी अथवा निजी नर्सरी से प्राप्त किया जा सकता है।
6. जड़ी बूटी से तैयार उत्पादों की बिक्री करने के लिए रिटेल आउटलेट्स किसी भी व्यवसायिक स्थान पर बनाये जा सकते है।
7. प्लान्टेशन का कार्य लक्ष्य निर्धारित कर सम्पादित किया जाय।
8. राज्य के स्वयं सहायता समूहों को भी छोटी प्रसंस्करण इकाई के संचालन में शामिल किया जाय।
9. जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड को भी परियोजना संचालन समिति में शामिल कर लिया जाय।
10. परियोजना हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास हेतु थिंक टैंक तैयार किया जाय।
11. उत्पादित जड़ी–बूटियों/सगन्ध उत्पादों तथा उनसे तैयार उत्पादों के गुणवत्ता की जांच हेतु गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाये तथा गुणवत्ता जांच हेतु उचित शुल्क निर्धारित किया जाय।
12. आयुष एवं आयुर्वेदिक दवाईयां तैयार करने हेतु नियमो में सरलीकरण किया जाय।
13. बड़ी प्रसंस्करण इकाई 02 से भी अधिक मांग के अनुसार स्थापित की जा सकती है।
14. परियोजना में बने उत्पादों की ऑर्गनिक ब्राण्डिंग की जाय।
15. जड़ी–बूटी इंडस्ट्री से सम्बंधित दो प्रतिनिधियों तथा दो विषय विशेषज्ञों को

Generated from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 20/09/2023 12:00 P

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(21)

में SLMC और CLMC में सम्मिलित किया जाय।

16. छोटी प्रसंस्करण इकाई को गैर वन क्षेत्र मे स्थापित किया जाय।
17. कृषक/समूह/संस्था अपनी निजी भूमि पर भी जड़ी बूटी की खेती कर सकते है। परियोजना में प्रस्तावित वन पंचायतों को मिलने वाले लाभ कृषक/समूह/संस्था को भी प्राप्त होगें।
18. हर्बल वन मेलों का प्रति वर्ष आयोजन किया जाय।
19. NTFP हेतु मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ट्रांजिट पास की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु वन विभाग द्वारा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाय।
20. प्रचार–प्रसार हेतु छोटे–छोटे वीडियो एवं एक्सपर्ट वीडियो के माध्यम से औषधीय पौधे, सगंध पौधे एवं जड़ी बूटी के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ायी जाय और इस हेतु Mobile App भी तैयार किया जाय।
21. औषधीय और सगन्ध क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप के साथ स्टार्टअप मीट भी आयोजित करायी जाय।

इस परियोजना का विस्तार वन पंचायतो के साथ–साथ आरक्षित वन क्षेत्रों में भी किया जायेगा। अतः परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा तथा आगामी कैबिनेट बैठक में वन विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना का प्रस्ताव लाया जायेगा।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 19-09-2023 15:43:57

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–3
संख्या-I/155433/XIII–3/05(15)/2023
देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

24

3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा परियोजना देहरादून
9. श्री एन0के0 सिंह, सलाहकार, जाइका परियोजना, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून।
11. निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली।
12. संयुक्त निदेशक/ड्रग कट्रोलर, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

Signed by Mahima Raunkaly
Date: 19-09-2023 17:03:19

(महिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

ed from eOffice by KALAM SINGH CHAUHAN, SO-AGRI-3-KSC, SECTION OFFICER, Agriculture and Farmers Welfare Department on 20/09/2023 12:00 P

(23)

दिनांक 22.11.2023 को अपरान्ह 4:00 बजे मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में Development of NTFP, Herbal & Aroma /Tourism through Federation in Uttarakhand के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

बैठक की उपस्थिति

1. श्री रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दीपेन्द्र चौधरी, सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. डॉ0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
4. डॉ0 पराग मधुकर धकाते, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड।
5. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री मान सिंह, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. डॉ0 नृपेन्द्र चौहान, निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून
8. श्री रचित राणा, कन्सल्टेंट, मैकेन्जी, देहरादून।

बैठक में शासनादेश संख्या–2185/X–2–2023–19(09)/2023 (ई–62776), दिनांक 16.11.2023 के द्वारा स्वीकृत "Development of NTFP, Herbal & Aroma /Tourism through Federation in Uttarakhand" परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. प्रोजेक्ट से सम्बन्धित समस्त स्टेकहोल्डर्स का ओरियेन्टेशन वर्कशॉप अगले दो सप्ताह में आयोजित कर स्टेकहोल्डर्स को उनकी भूमिका तथा कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाय। ताकि तदोपरान्त प्रोजेक्ट से सम्बन्धित ऑपरेशनल गाईडलाईन्स जारी की जा सके।

   (कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड)

2. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन पंचायत भूमि तथा निजी भूमि पर किये जाने वाले रोपण कार्य हेतु वन विभाग की नर्सरी, अन्य सरकारी नर्सरी एवं निजी नर्सरी में प्लान्टिंग मेटेरियल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का अध्ययन कर रिपोर्ट बनायी जाए, जिससे वर्तमान वनवर्धनिक वर्ष में जड़ी–बूटियों के रोपण कार्य किये जा सके। दो सप्ताह बाद इस विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी।

   (कार्यवाही–निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून)

3. निजी क्षेत्र में निजी भूमि पर जड़ी–बूटी के रोपण कार्य, हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म पार्क की स्थापना, लार्ज वैल्यू यूनिट की स्थापना तथा स्मॉल वैल्यू यूनिट की स्थापना हेतु कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निजी भूमि पर किये जाने वाले समस्त प्रस्तावित कार्यो को कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

   (कार्यवाही–सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण)

वन पंचायत कार्यालय 26-1
पत्रावली सं.... 1722
प्राप्ति सं.... 10-1-

सचिव

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(24)

2024

4. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सभी गतिविधियों की टाईमलाईन निर्धारित करते हुए तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही—सम्बन्धित विभाग)

अन्त में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 16-01-2024 12:48:12
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग—02
संख्या—103 / X—2—2023—19(09)2023 (A)
देहरादून, दिनांक 18 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, जड़ी—बूटी/कृषि एवं कृषक कल्याण/आयुष/सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड।
8. श्री रचित राणा, कन्सल्टेंट, मैकेन्जी, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव

पंचायत

अध्यक्ष
सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व आरोग्य पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

दिनांक 25.11.2023 को प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में **Development of NTFP, Herbal & Aroma /Tourism through Federation in Uttarakhand** प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः

उपस्थितिः

1. श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड (ऑनलाईन)।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड (ऑनलाईन)।

सर्वप्रथम डॉ0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों का स्वागत करते बैठक प्रारम्भ की गयी। उत्तराखण्ड की वन पंचायतों में गैर प्रकाष्ठ वन उपज का विकास तथा हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट के सफल कियान्वयन हेतु Orientation बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न निर्णय लिये गयेः

1. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को उनके प्रभाग अन्तर्गत नर्सरियों में उपलब्ध औषधीय पौधों का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। ताकि औषधीय पौधों की उपलब्धता ज्ञात होने पर वृक्षारोपण की समुचित व्यवस्था पूर्ण हो सके।

   (कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

2. जिन वन पंचायतों में जड़ी–बूटी पौधों का रोपण होना है वहां स्वीकृत परियोजना के मानक अनुसार सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को वन पंचायतों के चयन की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को जनपद स्तर पर कलेस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के पंजीकरण हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

   (कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

4. इस कार्यालय के पत्रांक 597/40–41 दिनांक 17.11.2023 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारियों (जनपद हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर को छोड़कर) को स्वीकृत प्रोजेक्ट की छायाप्रति अध्ययन किये जाने हेतु प्रेषित की गयी, ताकि परियोजना का सफल क्रियान्वयन ससमय हो सके। अतः उक्त परियोजना का सभी प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अध्ययन कर अपने सुझाव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

   (कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड)

कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, फोन न0 01352740926
Email:pccfvanpanchayat@gmail.com

पत्रांक– 688 / 26-1 दिनांक 08/12/ 2023

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड देहरादून।

सचिव
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन संरक्षक,
वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(26)

उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अधीन पंजीकरण की जाने वाली स्वायत्त सहकारिता के गठन हेतु बैठक।

बैठक का स्थानः–

दिनांकः– 12:3:2024 समयः– 11:30 AM

उपस्थितिः–

दिनांक 12.03.2024 को प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में "एन0टी0एफ0पी0 का विकास तथा हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत State Level Federation का Uttarakhand .. Cooperative Act, 2003 के तहत पंजीकरण किये जाने हेतु बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

नाम	पदनाम एंव पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
Rahul	CCF NTFP	9411110116	
महकशां - रहीम	Addl. Sec. Forest & Envi	8753967888	
DR. D. S. Bisht	Scientist HRDI	9412059390	
Anil Kumar	Dy. GM Mandi Board.	9411110746	
Dr. Suresh Ram	Joint Director, Horticulture	8218610977	
डा० आर० के० सिंह	संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	9412017311	
Dr. S. Farooq	Director	9837028727	
Dr. Nirpendra Chauhan	Dir-CAP	9837006749	
Dr Dhanajay Mohan	PCCF Van Panchayat	9410393913	
Shri Anupam tyagi	Vice Pr. Arombe Fite		on line VC
डा० Bhadhur Singh	विशेषज्ञ जड़ी बूटी		on line VC
Shri Anber jaddi	उत्तराखण्ड हर्बल कान्सेप्ट हेल्थ केयर Pvt		on line VC

प्रस्ताव संख्या–1
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के सभापति के चुनाव पर विचारः–

सर्व सम्मति से डॉ0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड को आज की बैठक हेतु सभापति/अध्यक्ष चुना गया जिनकी अध्यक्षता में निम्न कार्यवाही सम्पन्न की गई।

प्रस्ताव संख्या–2
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के गठन पर विचारः–

बैठक मे सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सदस्यों की आय द्वारा करने के उद्देश्य हेतु उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत एक स्वायत्त सहकारी संघ लि0, का गठन किया जाये। जिसके माध्यम से प्रस्तावित सहकारिता के सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें।

प्रस्ताव संख्या–3
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के नाम, मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र निर्धारण पर विचार।

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ का नाम – **उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** होगा। जिसका मुख्यालय– 85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,वन पंचायत उत्तराखण्ड। में होगा तथा इसका कार्य क्षेत्र सम्पूण प्रदेश (उत्तराखण्ड) होगा।

प्रस्ताव संख्या–4
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के आदर्श संगम अनुच्छेद स्वीकार करने पर विचार।

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि, उत्तराखण्ड स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 2003 के अनुसार प्रस्तावित उत्तराखण्ड, हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का जो संगम अनुच्छेद तैयार किया गया है, जिसमें संगठन बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं को स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ, सहकारिता संगम अनुच्छेद के अनुसार ही कार्य करेगा।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

प्रस्ताव संख्या–05
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के प्रारम्भिक सदस्य बनाने पर विचारः–

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज की तिथि 12.03.2024 में प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ, के गठन हेतु उपस्थित सम्बन्धित विभागों के प्राथमिक सदस्यों की सदस्यता स्वीकार की जाती है। सभी सदस्य प्रस्तावित सहकारी संघ के प्रारम्भिक संगठन कर्त्ता सदस्य होंगे।

प्रस्ताव संख्या–06

प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के प्रारम्भिक निदेशक बोर्ड के गठन पर विचार ।

बैठक में निर्णय लिया गया कि, निम्नलिखित सदस्य प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी समिति के सदस्य होंगे।

डा0 धनन्जय मोहन
श्री राहुल
श्री नृपेन्द्र कुमार चौहान
श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया
डा0 धन सिंह बिष्ट
डा0 रविन्द्र प्रताप सिंह
श्री अनिल कुमार
श्री रोहित मीना
श्रीमती दीप्ति सिंह
डा0 सैय्यद फारूक अहमद
श्री विनय अग्रवाल
श्री अनवर हैदर जैदी
श्री अनुप त्यागी
डा0 बहादुर सिंह कालाकोटी

प्रस्ताव संख्या–07

प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन पर विचारः–

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के मुख्य प्रवर्तक/सभापति डा0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड को चुना गया तथा उप सभापति श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड़ को चुना गया।

प्रस्ताव संख्या–08
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ

बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित स्वायत सहकारी संघ के अवैतनिक सचिव/ कोषाध्यक्ष पद पर श्री राहुल को नियुक्त किया जाना स्वीकार है जो सहकारी संघ के समस्त अभिलेखों को पूर्ण करेंगे तथा सम्बन्धित अभिलेखों पर सभापति के साथ हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होंगे।

प्रस्ताव संख्या–09

प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ का बैंक खाता खोलने पर विचारः–

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सहकारी संघ का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, देहरादून में सभापति एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जायेगा।

प्रस्ताव संख्या–10
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु अध्यक्ष एवं सचिव

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सहकारी संघ के चैकों/सभी कागजातों पर जहां भी आवश्यक हो हस्ताक्षर करने हेतु सभापति श्री डा0 धनन्जय मोहन एवं सचिव श्री राहुल को अधिकार देने पर विचार को संयुक्त रुप से अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या–11
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ की रोकड सीमा निर्धारण करने पर विचारः–

बैठक में निर्णय लिया गया है कि सहकारी संघ के सचिव के पास नकद रोकड की सीमा एक हजार रूपये तक निर्धारित की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–12
प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के भेजने पर विचारः–

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित उत्तराखण्ड, हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून पंजीकरण हेतु समस्त प्रपत्र संगम अनुच्छेद सहित जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायें। जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून से निवेदन है कि हमारी स्वायत्त सहकारी.

अध्यक्ष
सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

संघ का पंजीकरण करने की कृपा करेंगे ताकि सहकारिता अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

प्रस्ताव संख्या–13 प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ की रोकड सीमा निर्धारण करने पर विचारः–	बैठक में निर्णय लिया गया है कि सहकारिता के सचिव के पास नकद रोकड की सीमा एक हजार रूपये तक निर्धारित की जाती है।
प्रस्ताव संख्या–14 प्रस्तावित स्वायत्त सहकारी संघ के भेजने पर विचारः	बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारी संघ लि0, पंजीकरण हेतु समस्त प्रपत्र संगम अनुच्छेद सहित जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जायें। जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून से निवेदन है कि हमारी स्वायत्त सहकारिता का पंजीकरण करने की कृपा करेंगे ताकि सहकारिता अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

हस्ताक्षर
सचिव,

हस्ताक्षर
मुख्य प्रर्वतक / सभापति
स्वायत्त सहकारिता

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

आर्गनाइजर की रिपोर्ट

1– स्वायत सहकारी संघ का नाम :– उत्तराखण्ड, हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारी संघ लि0।
2– स्वायत सहकारी संघ के लिये प्रस्ताव कैसे प्राप्त हुआ :– मुख्य प्रर्वतक/प्रस्तायक
3– यदि गॉव है तो वह स्वायत सहकारिता किस मजरे की है या नम्बरी मौजे की मजरा है तो नम्बरी मौजे का विवरण :–

4– स्वायत सहकारी संघ किस ब्लाक या सैन्ट्रल बैंक से सम्बद्ध होगी और दोनो के बीच की दूरी कितनी है :– 02 कि0मी0

5– (अ) कितने विभाग/व्यक्ति सदस्यता के योग्य हैं :–समस्त
(ब) इसमे कितने लोग शामिल होने को तैयार हैं :–समस्त
(स) क्या सम्पन्न एवम् प्रभावशाली व्यक्ति बहुत संख्या में शामिल हुए हैं – नही
6– (अ) स्वायत सहकारी संघ निम्नलिखित व्यौरा दिजिए :–

क0 सं0	क्षेत्र का नाम	जाति	विभागों की संख्या	पारिवारिक व्यवसाय		
				खेती	दस्तकारी	मजदूरी
01	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड	–	–	–	–	–

(ब) खेती का कुल रकबा एवं साधारण खेती का रकबा दीजिए :–
7–
(अ) क्या स्वायत सहकारी संघ की तदर्थ प्रबन्ध कमेटी के व्यक्ति सदस्यों के विश्वास पात्र हैं तथा उनका प्रभाव रखते हैं –हॉ
(ब) प्रस्तावित स्वायत सहकारी संघ के सभापति का नाम :– डा0 धनन्जय मोहन
(स) प्रस्तावित स्वायत सहकारी संघ के सचिव का नाम :– श्री राहुल
(द) क्या स्वायत सहकारी संघ ने अपने अधिकार एवं कर्तव्य को संभाल लिया हैं :– हॉ
(य) क्या कोई योग्य सदस्य स्वायत सहकारी संघ का हिसाब रखने को तैयार है :– हॉ

8– क्या सदस्य स्वायत सहकारी संघ के उद्देश्यो से परिचित हैं तथा वक्त के महत्व एवं स्वायत सहकारी संघ के प्रति अपने कर्तव्यो को समझते हैं :– हॉ
9– क्या पास में इसी प्रकार का कोई स्वायत सहकारी संघ पहले से हो तो उसका विवरण दीजिए :– नही
10–आर्गनाईजेशन मे कितना समय स्वायत सहकारी संघ को बनाने में लगाया गया , तारीख दीजिए :– 3 माह

11–अन्य विशेष विवरण :–

आर्गनाईजर हस्ताक्षर

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

प्रस्तावित उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ ~~सहकारी सघ लि0~~ देहरादून के सदस्यों की सूची, मय पते एवं फोटो सहित जिन्होंने संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षर किये हैः–

क्र0 सं0	नाम सदस्य	पता	पदनाम	उम्र	व्यवसाय	हस्ताक्षर	फोटो
01.	डा0 धनन्जय मोहन	85 राजपुर रोड़ देहरादून	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड	58	सरकारी सेवा	[signature]	
02.	श्री राहुल	85 राजपुर रोड़ देहरादून	मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड	44	सरकारी सेवा	[signature]	
03.	डा0 श्री नृपेन्द्र कुमार चौहान	सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड	निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड सरकार	58	सरकारी सेवा	[signature]	
04.	श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया	उत्तराखण्ड शासन	उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन	51	सरकारी सेवा	[signature]	
05.	डा0 धन सिंह बिष्ट	जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल, गोपेश्वर चमोली	हर्बीकल्चर अधिकारी/वैज्ञानिक बी.	54	सरकारी सेवा	[signature]	
06	डा0 रविन्द्र प्रताप सिंह	देहरादून उत्तराखण्ड	संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एव यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड	56	सरकारी सेवा	[signature]	
07	श्री अनिल कुमार	कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	उपमहाप्रबन्धक (वि0या0) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल	51	सरकारी सेवा	[signature]	
08.	श्री रोहित मीना	उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	32	सरकारी सेवा	[signature]	

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

	श्रीमती दीपती सिंह	उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड	निदेशक, उद्यान विभाग	43	सरकारी सेवा		
10.	डा० सैय्यद फारूक अहमद	मै० हिमालय . वैलनेस कम्पनी, देहरादून।	मै० हिमालय वैलनेस कम्पनी, देहरादून।	66	उद्योग व्यवसाय		
11..	श्री विनय अग्रवाल	ग्राम–विचई, पूर्णागिरी जनपद चम्पावत	प्रोपराईटर मै० देवभूमि रतन हर्बल		उद्योग व्यवसाय,		
12.	श्री अनवर हैदर जैदी	प्लॉट नं०– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार	उपाध्यक्ष मै० हर्बल कॉन्सेप्ट हैल्थ केयर प्रा०लि० प्लॉट नं०– 02, सैक्टर 01 ए. सिडकुल, हरिद्वार		उद्योग व्यवसाय		
13.	श्री अनुपम त्यागी	ग्राम–जमरिया, सिली मल्ली बीरोखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल	उपाध्यक्ष मै० अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा०लि०		उद्योग व्यवसाय		
14.	डा० बहादुर सिंह कालाकोटी	बी०–401 माधव अपार्टमेंट, राजारानी विहार हल्द्वानी	विशेषज्ञ–जड़ी–बूटी , हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म		उद्योग व्यवसाय		

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India

धनंजय मोहन
Dhananjai Mohan
जन्म तिथि/DOB: 02/08/1965
पुरुष/ MALE

4977 4681 8191

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O एस एस राजपूत, 103, फेज - 2, वसंत विहार,
न्यूफॉरेस्ट, देहरादून,
उत्तराखंड - 248006

Address:
S/O S S Rajput, 103, Phase - 2, Vasant
Vihar, Newforest, Dehradun,
Uttarakhand - 248006

QR Code with Photograph

4977 4681 8191

अध्यक्ष
सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार

Download Date: 13/07/2023

राहुल
Rahul
जन्म तिथि / DOB: 01/12/1979
पुरुष / MALE
Mobile No.: 9411101116

Issue Date: 30/01/2017

4906 0859 5207

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

AADHAAR

पता:
द्वारा: सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, 142, इंजिनीयर्स एन्क्लेव, जीएमएस मार्ग, कांवली, देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

Address:
C/O: Surendra Prasad Singh, 142,
Engineers Enclave, GMS Road, Kanwali,
Dehradun, Uttarakhand - 248001

4906 0859 5207

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
Anwar Haider Zaidi
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1954
पुरुष / Male
4821 9334 0962
आधार – आम आदमी का अधिकार

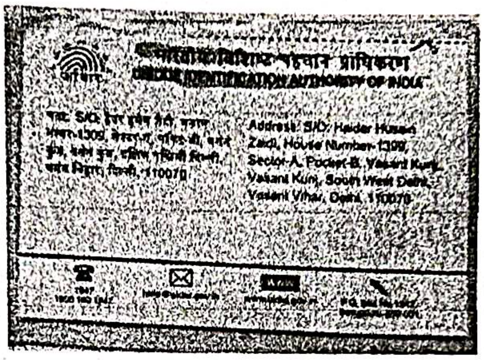

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA
Address: S/O: Haider Husain Zaidi, House Number-1309, Sector-A, Pocket-B, Vasant Kunj, Vasant Kunj, South West Delhi, Vasant Vihar, Delhi, 110070

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India

सैय्यद फारूक अहमद
Syed Farooq Ahmed
जन्म तिथि/DOB: 09/01/1958
पुरुष/ MALE

9361 9796 4375

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
आत्मज: सैय्यद रशीद अहमद, 321/डी, ओखला विलेज, जामिया नगर, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली - 110025

Address:
S/O: Syed Rashid Ahmed, 321/D, Okhla Village, Jamia Nagar, South Delhi, Delhi - 110025

9361 9796 4375

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

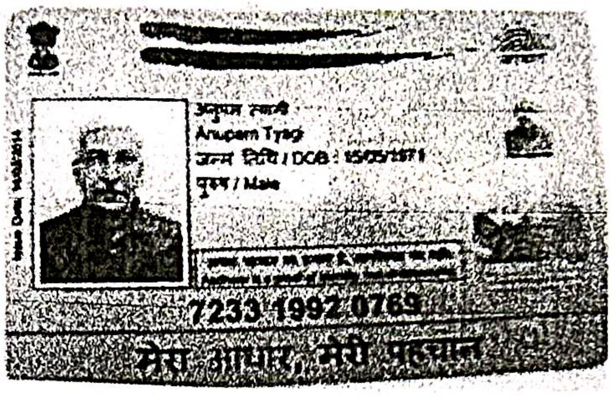

[redacted]

अनुपम त्यागी
Anupam Tyagi
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1971
पुरुष / Male

7233 1992 0769

मेरा आधार, मेरी पहचान

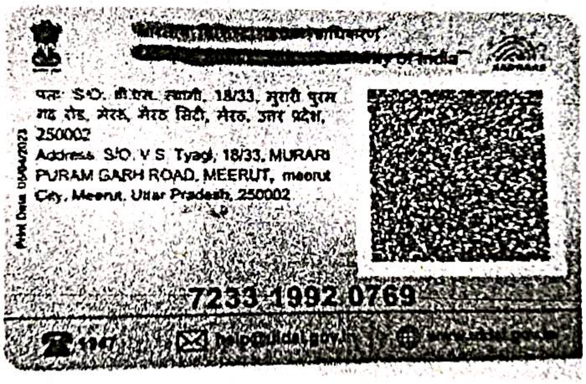

[redacted]

पता: S/O. वी.एस. त्यागी, 18/33, मुरारी पुरम गढ़ रोड, मेरठ, मेरठ सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250002

Address: S/O. V S Tyagi, 18/33, MURARI PURAM GARH ROAD, MEERUT, meerut City, Meerut, Uttar Pradesh, 250002

7233 1992 0769

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा एर्यल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India

Deepti Singh
FEMALE

8807 1351 3780
VID : 9190 8842 7663 3603

मेरा आधार, मेरी पहचान

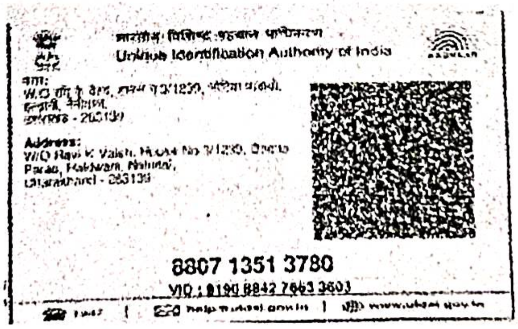

Unique Identification Authority of India

Address:
W/O Ravi K Vaish, House No 3/1230, Damuwadhunga
Parao, Haldwani, Nainital,
Uttarakhand - 263139

8807 1351 3780
VID : 9190 8842 7663 3603

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

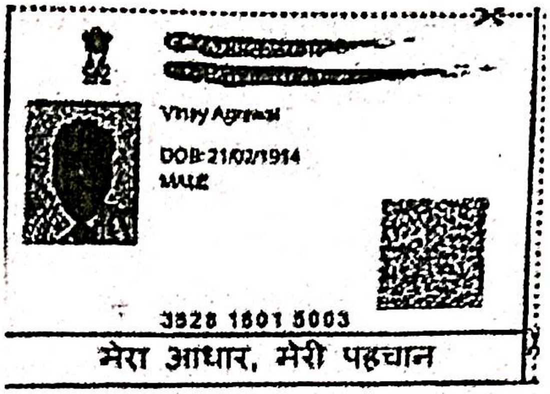

[redacted]

Vinay Agrawal

DOB: 21/02/1914

MALE

3828 1801 5003

मेरा आधार, मेरी पहचान

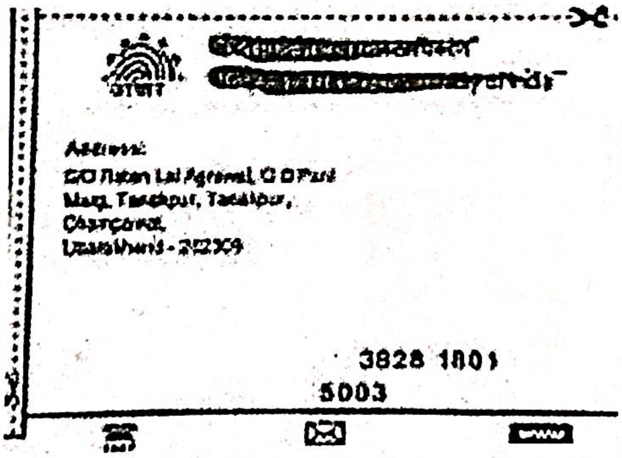

[redacted]

Address:

S/O Ratan Lal Agrawal, G D Pant Marg, Tanakpur, Tanakpur, Champawat, Uttarakhand - 262309

3828 1801 5003

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India

बहादुर सिंह कालाकोटी
Bahadur Singh Kalakoti
जन्म तिथि/DOB: 12/04/1954
पुरुष/ MALE

4174 7636 3312
VID : 9100 0789 6516 4958

मेरा आधार, मेरी [illegible] 12:13 ✓

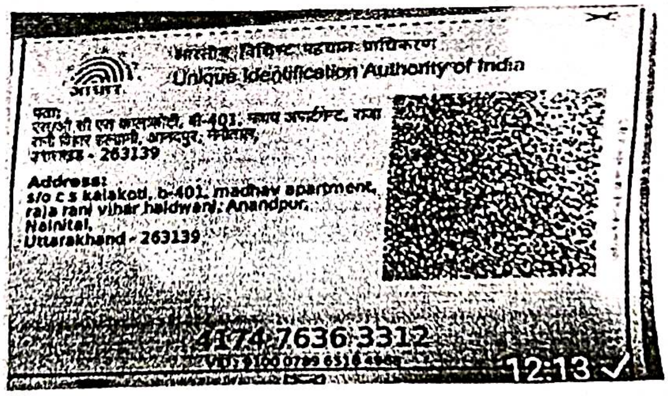

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
[illegible]
उत्तराखंड - 263139

Address:
s/o c s kalakoti, b-401, madhav apartment,
raja rani vihar haldwani, Anandpur,
Nainital,
Uttarakhand - 263139

4174 7636 3312
VID : 9100 0789 6516 4958

12:13 ✓

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India

डा0 धन सिंह बिष्ट
Dr Dhan Singh Bisht
जन्म तिथि / DOB : 10/06/1969
पुरुष / Male

9101 7487 8273

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार

प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: शेर सिंह, भीमपुरी, भीमपुरी, नैनीताल, कमोला, उत्तराखंड, 263140

Address:
S/O: Sher Singh, bhimpuri, Bhimpuri, Nainital, Kamola, Uttarakhand, 263140

9101 7487 8273

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व एरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

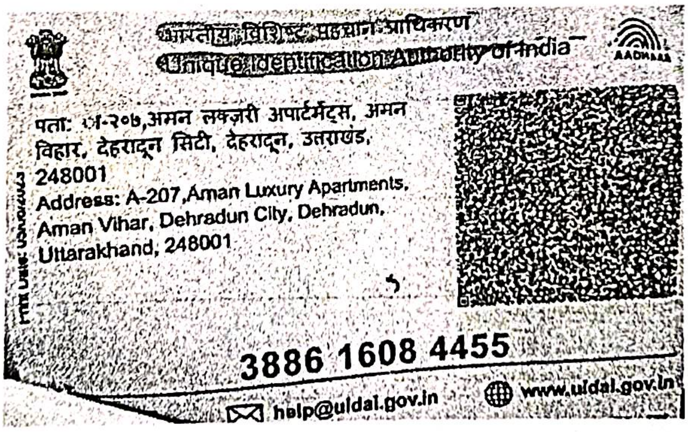

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

भारत सरकार
Government of India
नृपेन्द्र कुमार चौहान
Nirpendra Kumar Chauhan
जन्म तिथि/ DOB: 20/08/1967
पुरुष / MALE
3791 7803 9682
मेरा आधार, मेरी पहचान

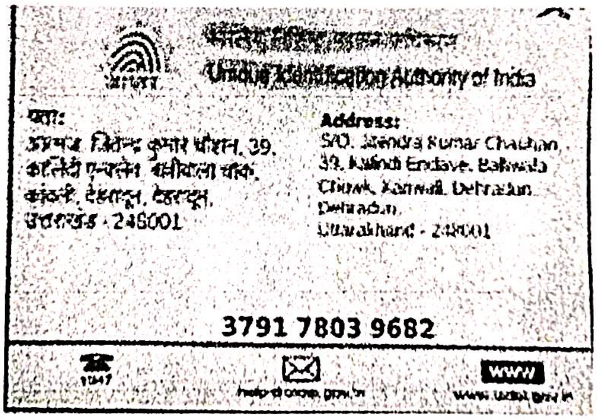

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
आत्मज: जितेन्द्र कुमार चौहान, 39, कालिंदी एन्क्लेव, बल्लीवाला चौक, कांवली, देहरादून, देहरादून, उत्तराखंड - 248001

Address:
S/O: Jitendra Kumar Chauhan, 39, Kalindi Enclave, Balliwala Chowk, Kanwali, Dehradun, Dehradun, Uttarakhand - 248001

3791 7803 9682

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

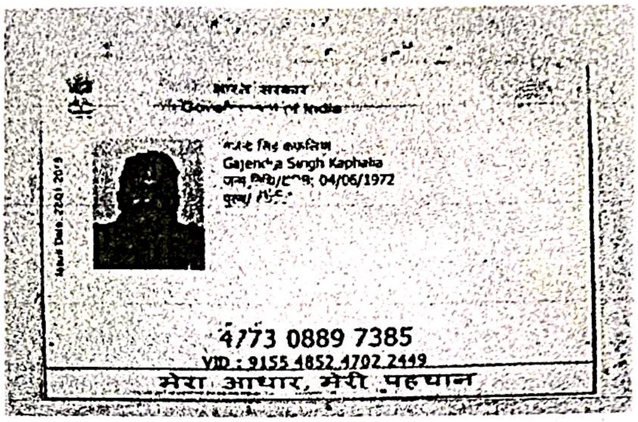

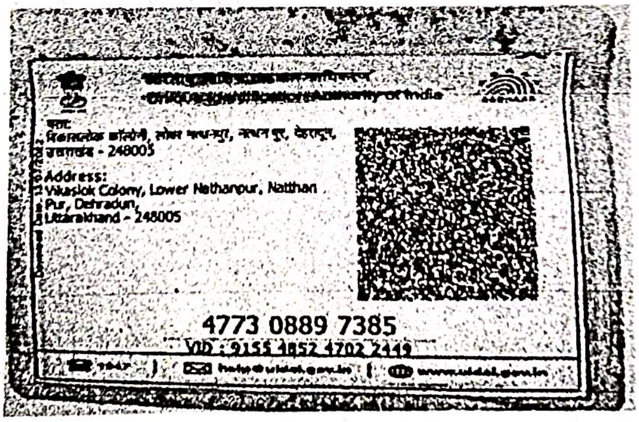

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

[redacted]

रोहित मीना
Rohit Meena
जन्म तिथि/ DOB: 21/09/1991
पुरुष / MALE

8457 4820 4842

मेरा आधार, मेरी पहचान

AADHAAR

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

पता:
आत्मज: कल्याण सहाय, प्लाट न-29, रूप नगर-दूसरा, महेश नगर के पास, जयपुर, लाल कोठी, जयपुर, राजस्थान - 302015

Address:
S/O: Kalyan Sahay, plot No-29, Roop Nagar-2nd, Near Mahesh Nagar, Jaipur, LAL KOTHI, Jaipur, Rajasthan - 302015

8457 4820 4842

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

अध्यक्ष　　　सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

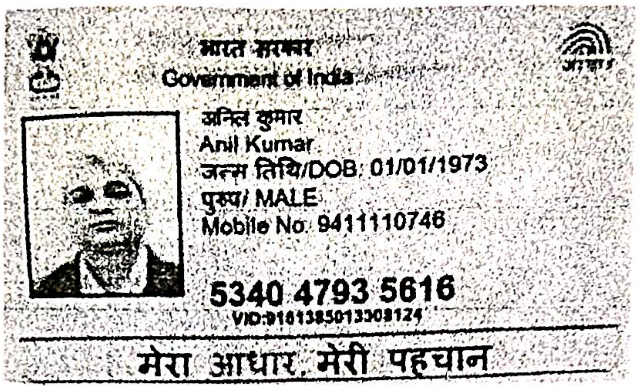

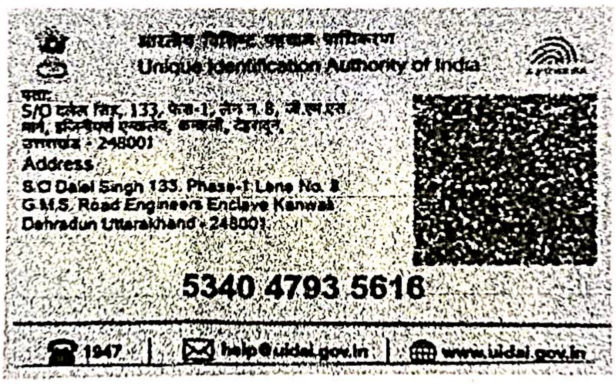

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

इन्सपैक्टर की रिपोर्ट

निबन्धन हेतु प्रस्तावित स्वायतसहकारिता का नाम :— उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून।

1— इनसपैक्टर ने किस तारीख को जॉच की :— 22/04/24

2— क्या इन्सपैक्टर स्वायतसहकारी संघ के बारे में सदस्यों की जानकारी तथा उत्सुकता से संतुष्ट है :— हाँ

3— क्या इन्सपैक्टर सन्तुष्ट है कि प्रस्तावित प्रबन्ध कमेटी मे स्वायत सहकारी के कार्य संचालन की योग्यता है :— हाँ

4— क्या स्वायत सहकारी संघ मे 80 प्रतिशत से अधिक परिवार सम्मिलित होने को तैयार है यदि नहीं तो कारण लिखिए :— हाँ

5— क्या स्वायतसहकारी संघ के कार्य संचालन के लिये आवश्यक पूँजी सदस्यो तथा बैंक से प्राप्त होगी :— उपविधि अनुसार

दिनॉक : 22/04/24
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

सहकारी इन्सपैक्टर
सहायक विकास अधिकारी (स०वि०)
विकासखण्ड :— रायपुर

जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड़ देहरादून ककी रिपोर्ट

मैं समिति की व्यवस्था और इंसपेक्टर की जांच से संतुष्ट हूं। समिति का निबन्धन कर दिया जाय।

दिनांकः—

S Balwant
जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड़
देहरादून।

किरायानामा सम्बन्धी प्रमाण पत्र

मै डा0 धनन्जय मोहन प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़ प्रमाणित करता हूं कि, 85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़ कार्यालय का एक कमरा **उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** को अपना कार्यालय चलाने हेतु दिया है तथा मै इसके लिये समिति से रु/- किराया प्राप्त करुंगा/निशुल्क दिया है।

छोटे – मोटे संशोधन हेतु अनुमति पत्र

हम, **उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** की उपविधियों में सहकारिता विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम –2003 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत छोटे– मोटे संशोधन किये जाने हेतु सहमत हैं।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(3) कार्यालय की व्यवस्था संबधी प्रमाण पत्र

प्रस्तावित **उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** के पंजीकरण के पश्चात स्वायत्त संघ का कार्यालय 85 राजपुर रोड़ देहरादून, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़ में स्थापित किया जायेगा वन विभाग संघ के पंजीकरण के पश्चात् अपने भवन को समिति के कार्यालय हेतु उपलब्ध करवाने के लिए सहमत है।

ह0/मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित..........................
....

(4) समिति अभिलेखों के रख रखाव व सुरक्षा संबधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित **उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून** के समस्त अभिलेख समिति कार्यालय में सचिव की सुरक्षा व देख–रेख में रहेंगे।

ह0/मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित..........................
....

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

सैय्यद फारूख अहमद पुत्र श्री सैय्यद रशीद अहमद।
वसाय– मै0 हिमालय वेलनेस कम्पनी देहरादून।

ा– हिमालय वेलनेस कम्पनी देहरादून।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता
घ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु–66 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरूष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्व हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

हस्ताक्षर सदस्य

तांक..........................

क्षी

) हस्ताक्षर........... ....

स व पूरा पता– श्रीमती दीप्ती, निदेशक उद्यान विभाग

हस्ताक्षर ....

स व पूरा पता– श्री अनिल कुमार उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं बहादुर सिंह कालाकोटी व्यवसाय– विषेशज्ञ जड़ी बूटी हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म।
पता– राजारानी विहार हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु–66 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्व हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

हस्ताक्षर सदस्य

दिनांक..........................

साक्षी

(1) हस्ताक्षर..........................

नाम व पूरा पता– श्रीमती दीप्ती, निदेशक उद्यान विभाग।

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– श्री अनिल कुमार– उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

मैं रविन्द्र प्रताप सिंह

व्यवसाय– संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड़।

पता– देहरादून उत्तराखण्ड़।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु–56 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरूष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्व हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक.........................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1.) हस्ताक्षर...

नाम व पूरा पता– श्री अनिल कुमार कुषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल देहरादून।

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– श्री रोहित मीना, उद्योग निदेशाल उत्तराखण्ड़।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

अनिल कुमार पुत्र श्री दलेल सिंह

वसाय– उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल देहरादून।

ा– कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड नवीन मण्डी स्थल देहरादून।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता ा, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु–51 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरूष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

ांक..........................

हस्ताक्षर सदस्य

ी

हस्ताक्षर..

व पूरा पता– डा0 रविन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें राखण्ड़।

हस्ताक्षर ....

व पूरा पता– श्री रोहित मीना, उद्योग निदेशाल उत्तराखण्ड़।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

। रोहित मीना पुत्र श्री कल्याण सहाय
ाय– उद्योग निदेशाल उत्तराखण्ड़।

- उत्तराखण्ड़ शासन।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु–33 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरूष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देशों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

ांक..........................

हस्ताक्षर सदस्य

क्षी

) हस्ताक्षर............................ ....

म व पूरा पता– डा0 रविन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें तराखण्ड़।

) हस्ताक्षर ....

ाम व पूरा पता– श्री अनिल कुमार उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट—ख

(उपविधि संख्या 48)

घोषणा पत्र

मैं श्रीमती दीपती सिंह

व्यवसाय— निदेशक उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड़।

पता— निदेशालय उद्यान विभाग देहरादून।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून, का सदस्य बनना चाहती हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु— 42 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं स्वायत सहकारिता के कार्यक्षेत्र में रहने की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य स्वायत्त सहकारी संघ की सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगी।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगी जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधियत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करुंगी जो सहकारिता के हितों के विरुद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरुद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करती हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमायली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक.................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1.) हस्ताक्षर...

नाम व पूरा पता ....

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता ....

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया प

व्यवसाय– उप सचिव उत्तराखण्ड़ शासन।

पता– उत्तराखण्ड़ शासन।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु– 51 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरुष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्ध हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक.........................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1.) हस्ताक्षर..

नाम व पूरा पता– डा0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़। 85 राजपुर रोड़ देहरादून।

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड़, 85 राजपुर रोड़ देहरादून।

अध्यक्ष सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

ा0 धन सिंह बिष्ट पुत्र श्री शेर सिंह
साय– उप सचिव उत्तराखण्ड़ शासन।

– जड़ी बुटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल गोपेश्वर चमोली।

त्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ,
ादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु– 54 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र पुरूष/महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

नांक.........................

हस्ताक्षर सदस्य

ाक्षी

.) हस्ताक्षर...

ाम व पूरा पता– श्री गजेन्द्र सिंह कफलिया उप सचिव उत्तराखण्ड़ शासन। (2) हस्ताक्षर ..
....

ाम व पूरा पता– श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड़, 85 राजपुर रोड़
ेहरादून।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं विनय अग्रवाल

व्यवसाय– प्रोपराईटर मै0 देवभूमि रतन हर्बल।

पता– प्रोपराईटर मै0 देवभूमि रतन हर्बल चम्पावत।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु–62 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक.............................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1) हस्ताक्षर...

नाम व पूरा पता– श्रीमती दीप्ती, निदेशक उद्यान विभाग।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– श्री अनिल कुमार– उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड़ कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।

परिशिष्ट—ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं ~~[illegible]~~ डा० अनवर हैदर जैदी

व्यवसाय— ~~प्रोपराईटर मै० देवभूमि रत्न हर्बल।~~
उपाध्यक्ष मे० हर्बल हैर्ब केयर

पता— ~~प्रोपराईटर मै० देवभूमि रत्न हर्बल चम्पावत।~~
खिड़कुल हरिद्वार

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु— वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

नांक.........................

हस्ताक्षर सदस्य

क्षी

) हस्ताक्षर..

अध्यक्ष

सचिव

उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

म व पूरा पता— श्रीमती दीप्ती, निदेशक उद्यान विभाग।

हस्ताक्षर ....

म व पूरा पता— श्री अनिल कुमार— उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन

।

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं डॉ0 धनन्जय मोहन पुत्र श्री एस0एस0 राजपुत
व्यवसाय– प्रमुख वन संरक्षक, वन पुचायत उत्तराखण्ड
पता– 85 राजपुर रोड़ देहरादून।
उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु– 58 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्व हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक..........................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1.) हस्ताक्षर..

नाम व पूरा पता– श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड़, 85 राजपुर रोड़ देहरादून।

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– नृपेन्द्र कुमार चौहान– निदेशक सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड़

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं श्री राहुल पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
व्यवसाय– मुख्य वन संरक्षक, एन0टी0एफ0पी0 उत्तराखण्ड़।

पता– 85 राजपुर रोड़ देहरादून।
उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु– 44 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देषों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरूद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक..........................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1.) हस्ताक्षर..

नाम व पूरा पता– डा0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड़। 85 राजपुर रोड़ देहरादून।

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– नृपेन्द्र कुमार चौहान– निदेशक सगन्ध पौधा केन्द्र उत्तराखण्ड़

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन विकास
स्वायत्त सहकारिता संघ देहरादून

परिशिष्ट–ख

(नियम 48 के अधीन)

घोषणा पत्र

मैं अनुपम त्यागी व्यवसाय– उपाध्यक्ष मै0 अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा0लि0।
पता– मै0 अम्बेफाईटो एक्सट्रेक्ट प्रा0लि0 पौड़ी।

उत्तराखण्ड, गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद तथा हर्बल एण्ड अरोमा टूरिज्म स्वायत्त सहकारिता संघ, देहरादून का सदस्य बनना चाहता हूँ।

सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करती हूँ।

1. मेरी आयु– 53 वर्ष हैं। मैं स्वस्थ चित्त व सचरित्र महिला हूं।
2. मैं सहकारी संघ के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूं/रहने का/ की इच्छुक हूँ।
3. मैं उत्तराखण्ड़ राज्य के किसी अन्य सहकारी संघ का सदस्य नहीं हूं और सिवाय नियम 43 के अधीन किसी अन्य सहकारी समिति/संघ का सदस्य नहीं बनूंगा।
4. मैं समिति/संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें किए गये किसी ऐसे परिष्कार परिवर्तन व संशोधन के मानने के लिए बाध्य रहूंगा जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत किये जायेंगे।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिए गये निर्देशों से आबद्ध रहूँगी ।
6. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो सहकारिता के हितों के विरुद्व हो या संघ के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो ।
7. मै यह भी घोषित करता हूँ की उपरोक्त घोषणा में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या उसका उल्लंघन करने पर मैं अधिनियम ,नियमावली या समिति/संघ की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊंगी।

दिनांक.........................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षी

(1) हस्ताक्षर...

नाम व पूरा पता– श्रीमती दीप्ती, निदेशक उद्यान विभाग।

अध्यक्ष सचिव
उत्तराखण्ड गैर प्रकाष्ठ वन उत्पाद
तथा हर्बल व अरोमा पर्यटन वि...
स्वायत्त सहकारिता संघ देह...

(2) हस्ताक्षर ....

नाम व पूरा पता– श्री अनिल कुमार– उप महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।